HVS/6617

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

शुक्रवार, 24 मार्च, 1995

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 1
पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष महोदय का स्वागत	(13) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(13) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13) 33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 34
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव——	
हरियाणा बीज निगम द्वारा गेहूं के बीज के उत्पादन की सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी	(13) 45
वक्तव्य—	
कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी	(13) 45
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(13) 48
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(13) 48
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(13) 49

मूल्य :

184

पृष्ठ संख्या

समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना

(1) पब्लिक अकांउट्स कमेटी की 40 वीं रिपोर्ट पेश करना (13) 49

(2) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 38वीं तथा 39 वीं रिपोर्ट पेश करना (13) 49

(3) सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की 26वीं रिपोर्ट पेश करना (13) 50

बिल्ज--

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 1) बिल, 1995 (13) 50

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0.2) बिल, 1995 (13) 72

(3) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन आफ अनरेगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1995 (13) 74

(4) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाईटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1995 (13) 75

चण्डीगढ़ के हस्तान्तरण तथा एस0 वाई0 एल0 नहर के निर्माण सम्बन्धी मामला (13) 77

बिल्ज--(पुनरारम्भ)

(5) दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1995 (13) 78

(6) दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1995 (13) 80

अध्यक्ष द्वारा आब्जर्वेशन--

सदस्यों को सयम पर बिल वितरण सम्बन्धी (13) 81

बिल्ज (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1995 (13) 82

चण्डीगढ़ के हस्तान्तरण तथा एस0 वाई0 एल0 नहर के निर्माण सम्बन्धी मामला (पुनरारम्भ) (13) 83

बिल्ज--(पुनरारम्भ) (13) 87

(7) दि पंजाब प्रि-ऐम्पशन (हरियाणा अमैंडमैंड) बिल, 1995 (13) 87

(8) दि हरियाणा टैक्स आन लग्ज़रीज (रिपील) बिल, 1995 (13) 89

सरकारी संकल्प--

(i) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारण करने की अनुमति के सम्बन्ध में (13) 90

(ii) सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण अथवा कायम रखने सम्बन्धी (13) 92

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (13) 93

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 24 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे। श्री भरथ सिंह।

तारांकित प्रश्न संख्या–1130

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री भरथ सिंह इस समय हाउस में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या–1059

(यह सवाल भी पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री सूरज भान काजल इस समय हाउस में उपस्थित नहीं थे।)

Expenditure Incurred on Advertisement

*1189. **Shri Ram Bhajan Aggarwal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by the Haryana Education Board on the advertisements during the year 1994-95 ;

(b) the total exper diture incurred on the visits of the Members of the Board of the Management of other countries during the year 1994-95 together with the purpose thereof ; and

(c) the total expenditure incurred on the celebration of Silver Jublee function of the Board held at Punchkula during the Month of January, 1995 ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :

(a), (b), (c) : Sir, the inforomatin is laid on the table of House.

[Shri Phool Chand Mullana]

Information

(a) The Haryana Board of School Education has incurred an estimated expenditure of Rs. 6.47 lac during the year 1994-95 so for.

(b) An amount of Rs. 4,48,562/- was incurred on the visis of the members of the Board of Management to study Open School system in other counntries.

(c) An amount of Rs. 5,91,953.40 paise has been incurred on the Silver Jublee Function of the Board during the month of January, 1995.

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो खर्च इन्होंने एडवरटाइजमैंट के लिए किया है, वह किन-किन मदों में किस-किस को दिया ? दूसरे जो खर्च विदेश दौरे के लिए किया, उससे बोर्ड को क्या लाभ हुआ ? वहां जो स्कीम देखीं वे क्या यहां लागू हुईं ? तीसरे, जो फंक्शन किया गया, उसके खर्च की डिटेल देने की भी कृपा करें। क्या स्टाफ को चांदी की प्लेटें बांटी गई ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 40 लाख 80 हजार रुपये का व्यय इसमें शामिल है ? एजुकेशन बोर्ड से जो पैसा ड्रा हुआ है, उसके खर्च का क्या विवरण है तथा वह किस मद में कहां खर्च किया गया ? 41,600 रुपये एस0 एस0 पी0 रोहतक को दिए गए, उसके खर्च का क्या विवरण है, क्या यह रुपये बोर्ड से दिए गए ? इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि यह राशि इसमें शामिल नहीं थी ?

पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष महोदय का स्वागत

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform that Shri Harnam Dass Johar, Hon'ble Speaker, Punjab Vidhan Sabha is in the V.I.P. Gallery. I welcome him.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, आदरणीय सदस्य ने तीन सवाल पूछे, उसमें पहला तो यह है कि एडवरटाईजमैंट कैसे की जाती है। अध्यक्ष महोदय, एडवरटाईजमैंट का एक तरीका है डी0पी0आर0 रेट पर एडवरटाईजमैंट की जाती है। किस-किस मद पर किए हैं, यह तो ये रोज अखबार में पढ़ते होंगे। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि हमने नकल को रोकना है। नकल रोकने के लिए विज्ञापन पर ज्यादा खर्च किया गया। दूसरा कंडक्ट आफ एग्जामिनेशन और स्टुडैन्टस के वैलफेयर के लिए व तीसरे फीस वगैरह की इनफरमेशन कि कहां जमा करानी है के लिए यह पैसा खर्च किया गया है। बोर्ड

की जो सिल्वर जुबली मनाई गई है, उसकी एचीवमैंटस पर ऐडवरटाईजमैंट करवाए हैं। पब्लिक नोटिसिस फिर, कंडक्ट आफ अपील, जो अपीलें होती हैं कि इम्तिहान बिना नकल के हों, फिर टैन्डर आफ प्रिंटिंग आफ बुक्स, प्रिंटिंग आफ स्टेशनरी, पब्लिक नोटिसिस और चैंज आफ रुल्ज। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि शिक्षा विभाग इस बात की ओर पूर्णत: जागरूक है। इस बढ़ती हुई आबादी को देखकर ऐसा समय भी आएगा कि हमारे पास स्कूल नहीं होंगे कमरे नहीं होंगे उसके लिए ओपन स्कूल सिस्टम लागू किया और उसके लिए ऐडवरटाईजमैंट दिए हैं।

दूसरा सवाल उन्होंने किया कि इस पर बहुत ऐक्सपेन्डीचर हुआ है और उससे क्या लाभ हुआ ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि तीन आदमियों की टीम गई थी और उन तीन आदमियों की टीम पर उतना खर्च हुआ जितना कि एक आदमी पर होता है, मिनिमम ऐक्सपेन्डीचर हुआ है। हमने इस स्टडी टूर की मुख्य मन्त्री महोदय को अपनी रिपोर्ट दे दी है। ओपन स्कूल सिस्टम आफ ऐजुकेशन। हम चार कंट्रीज में गये और विभिन्न यूनिवर्सिटीज में गये। सबसे पहले कैनेडा में जगह है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी आफ वैस्टर्न आनटेरिओ लंदन। यह इंगलैन्ड वाला लन्दन नहीं, यह कैनेडा में एक जगह है। दूसरा गये वाटर लू। तीसरा गये टोरान्टो में। ये विजिटिंग इंस्टीचूयूशनज हैं और ऐलबलटा यूनिवर्सिटी यू0 के0। यह सारा स्टडी करके हमने एक रिपोर्ट बनायी है ताकि इसे ओपन स्कूल्ज के लिए हम आगे अच्छे ढंग से लागू कर सकें। और अभी हो सकता है कि हमें और भी कहीं जाना पड़े। इससे आगे इन्होंने एक और बात कह दी कि हमने सिलवर जुबली पर भी खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा भारी इंटरनैशनल सेमीनार था जिसमें लगभग आठ कंट्रीज से बाहर के लोग आये डिफरेन्ट पार्ट्स आफ दा कंट्रीज से, हमारे अपने जो स्कालर्ज थे, उन्होंने भी इस सैमीनार में भाग लिया और यह सेमीनार बड़ा ही फूटफुल रहा और पूर्णत: हम इस को लागू कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में पैसे दिये गये। अध्यक्ष महोदय पहले ऐजुकेशन बोर्ड भी परीक्षा लेने वाला माना जाता था लेकिन आज ऐजुकेशन बोर्ड शिक्षा में सुधार, स्कूलों में सुधार के लिये काम कर रहा है। लाइब्रेरीज की इम्प्रूवमैंटस के लिये हमने 1 करोड़ रुपया दिया है और अगले साल हम दो करोड़ रुपया देंगे। (तालियां)

दूसरे अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पुलिस वालों और दूसरे अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने नकल को रोकने में पूरा सहयोग दिया है, ऐवार्ड भी दिये हैं और जो पुलिस के स्कूल्ज हैं, उनके स्कूलों की इम्प्रूवमैंट के लिये भी बोर्ड ने पैसा दिया है और वह इसमें शामिल है।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गत वर्ष से नकल को रोकने का भरसक प्रयास किया है जोकि हरियाणा पर एक अभिशाप है। अगर सरकार इस अपने प्रयास को सफल बना पाए तो हम इसके लिये सरकार को

[प्रो0 छतर सिंह चौहान]

बधाई तो देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछेक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुख्य मन्त्री महोदय कृपया बताएं कि जो लोग इस तरह की स्टडी के लिये बाहर के मुल्कों में गये हैं, वहां से कुछ न कुछ सीख कर तो अवश्य ही आए होंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख सकेगी कि उन्होंने किस-किस बात की वहां जाकर स्टडी की है, क्या रिसर्च की है ताकि सारे हरियाणा के लोग उनकी बातों से अवगत हो सकें कि वहां पर फला-फला कार्य के लिये इतना इतना पैसा खर्च हुआ है ? अगर सरकार वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी तो बहुत अच्छी बात होगी । क्या सरकार इस तरह का कोई विचार रखती है ? दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड है, वह शिक्षा बोर्ड न होकर एक करप्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, क्या यह बात सही है ? क्योंकि ऐजूकेशन बोर्ड आज हिन्दुस्तान के उन बोर्डों में से है, जिसमें सब से ज्यादा फीस व लेट फीस ली जाती है । कृपया स्थिति स्पष्ट करें । (शोर) हरियाणा ऐजुकेशन बोर्ड ने अपने आफिस पंचकूला व अम्बाला में खोल रखे हैं, जिनका बहुत सारा किराया सरकार दे रही है ।]

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है (शोर)।

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री अपने बोर्ड के कर्मचारियों के साथ या शिक्षा विदों के साथ गए । थे वहां किस प्लान से गए थे, क्या लेकर आए और इन्होंने वहां क्या सीखा । हरियाणा ऐजुकेशन बोर्ड का पैसा किसी मन्त्री या एम0एल0ए0 के निवास स्थान को अपना कार्यालय बना कर खर्च किया गया और उसको तीन गुना किराया दिया गया । इसके बारे में भी बताएं ।

श्री अध्यक्ष : इसका इससे कोई संबंध नहीं है । मन्त्री जी रैलेवेंट बात का जवाब दें ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय छतर सिंह जी ने पूछा कि बाहर जाने पर कितना खर्चा हुआ । वह सूचना तो मैंने सदन के पटल पर रख दी है। शायद ये पढ़ना भूल गए । फिर इन्होंने पूछा कि बाहर किस लिए गए, मैं बहुत खुले शब्दों में बता चुका हूं कि हम ओपन स्कूल आफ ऐजुकेशन की स्टडी करने गए थे । फिर इन्होंने कहा कि वहां क्या किया । शायद इन्होंने मेरा जवाब नहीं सुना । हम वहां पर डिफरैंट यूनिवर्सिटीज में गए थे । उनकी रिपोर्ट मेरे पास है, आप किसी समय आकर देख लेना ।

श्री अध्यक्ष : आप इनको रिपोर्ट की कापी भेज देना ।

श्री फूल चन्द मुलाना : ठीक है जी । फिर इन्होंने कहा कि पंचकूला और अम्बाला में दफ्तर खोल दिया । यह भी बोर्ड का बहुत बढ़िया काम है । इन्होंने कहा कि यह करप्शन बोर्ड है । मैं बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड पहले इम्तिहान लेने का काम करता था, आज वह शिक्षा में सुधार करने के लिए भी ठीक साबित हुआ है । यह नकल को भी रोक रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोर्ड की आमदनी की फिगर देना चाहता हूं । वर्ष 1992-93 में बोर्ड की आमदन 9 लाख 98 हजार रुपए थी और 1993-94 में 12 लाख रुपए थी । उसके बाद 1994-95 में वह बढ़कर 17 लाख रुपए हो गई । यह इसलिए हुई कि स्टूडैंटस की संख्या बहुत बढ़ गई । इस साल 9 लाख विद्यार्थियों ने इम्तिहान दिया जबकि पिछले साल सात लाख ने दिया था । आज हिन्दुस्तान के बोर्डज में से सब से ज्यादा टीचर्ज को रैमनुरेशन इस बोर्ड द्वारा दिया जाता है । इतना और कोई बोर्ड नहीं देता । आपको नकल को रोकने के बारे में जान कर खुशी होनी चाहिए । पहले शिक्षा का स्तर यहां क्या था । आज नकल नाम की बीमारी समाप्त हो चुकी है और जहां कहीं किसी ने नकल करने की कोशिश की, हमने उसे रोका । हमने सैंटर्ज भी बदले और अब पढ़ाई का बहुत अच्छा काम चल रहा है जिसके लिए बोर्ड बधाई का पात्र है । छतर सिंह जी मालूम नहीं क्या चाहते थे, इनका भ्रम मैंने दूर कर दिया है ।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या एजुकेशन बोर्ड ने 40 लाख 80 हजार रुपया डी0सीज0 और एस0एस0पीज0 को दिया है । अगर दिया है तो उसका विवरण क्या है । क्या इन्होंने रोहतक के एस0एस0पी0 को 40 हजार रुपया दिया और वह किस लिए दिया ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि हमने बोर्ड से कुछ पैसा पंचायतों को स्कूलों के लिए दिया है जिन स्कूलों में नकल बिल्कुल नहीं हुई । वह पैसा हमने डी0सीज0 के जरिए भेजा है । एस0एस0पीज0 को इसलिए दिया है कि वह उस पैसे को उन स्कूलों में लगाए जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं । एक पुलिस का अधिकारी, हैड कांस्टेबल या कांस्टेबल अगर कहीं और बदल जाता है तो उसके बच्चे वहीं पढ़ते रहें, इसलिए यह पैसा दिया है ।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, पुलिस कर्मचारियों को जो इतनी बड़ी रकम दी गई है यह बहुत अच्छी बात है । वह देश की सेवा करते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हू कि हरियाणा सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों के बच्चे क्या लावारिस हैं ? उनकी सुविधा के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया । उनको इस सुविधा से इगनोर क्यों किया गया है ? अगर पुलिस के कर्मचारियों के तबादले हो जाते हैं तो क्या दूसरे कर्मचारियों के तबादले नहीं होते ?

[श्री राम भजन अग्रवाल]

क्या पुलिस ही एक मात्र ऐसा विभाग है जो इस सुविधा का पात्र है ? उनके लिए 40-40 लाख रुपए दिए गए हैं और दूसरे विभाग नहीं हैं उनको इग्नोर क्यों किया गया है ? इसी प्रकार से भिवानी जिले को इग्नोर किया गया है।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, माननीय राम भजन अग्रवाल जी को यह भ्रम हो गया है कि पुलिस वालों के लिए किसी जिले में 40-40 लाख रुपए की सुविधा दी गई है। किसी भी जिले को 40 लाख रुपए नहीं दिए गए। हर जिले को बांट कर पैसा दिया गया है। इसमें दूसरे नागरिकों को इग्नोर करने की कोई बात नहीं है। वह पैसा डी0 सी0ज0 को भेजा गया है। राम भजन अग्रवाल जी तो कभी हाई स्कूल में गए नहीं लेकिन ये अपने बच्चों को अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए यह पैसा दिया गया है। केवल यही बात नहीं है कि केवल पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को ही, यह सुविधा दी गई है, दूसरे बच्चों को भी दी गई है।

Land Irrigated by Gurgaon Canal

@*1077. **Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total casecs capacity of Gurgaon Canal togetherwith the quantity of water flows in the said canal at present ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Gurgaon Canal during the year 1995 ?

Irrigation and Parliamentary Affairs Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Total capacity of Gurgaon canal is 2240 Cs. as per project. At present it is running with 200-300 Cs.

(b) Yes, Sir.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि वर्तमान में गुड़गांव कैनाल में 200 क्यूसिक्स से 300 क्यूसिक्स पानी चल रहा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उस कैनाल में इतना कम पानी चलने के क्या कारण हैं। उस नहर में सिल्ट जम जाने के कारण अधिक पानी नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल है कि सरकार ने नहरों में से गाद निकालने के बारे में कहा है तो क्या नहरों से गाद निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से काफी पैसा लिया हुआ है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गुड़गांव कैनाल की गाद इसी साल में पैसा खर्च करके निकालने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी ?

@Put by Ch. Om Parkash Beri.

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, उस नहर में कम पानी चलने का एक कारण तो यह है कि पानी कम है। दूसरा कारण इन्होंने खुद ही बताया है कि उसमें गाद जमी हुई है। इन दोनों कारणों की वजह से उस नहर में पानी कम चलता है। स्पीकर साहब, इस नहर में से राजस्थान को भी पानी जाता है। इन्होंने उसकी डीसिल्टिंग के बारे में कहा है। हम राजस्थान से भी उस नहर की डीसिल्टिंग के लिए पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे भी इस नहर से पानी ले रहे हैं। इस साल हमने डीसिल्टिंग के लिए प्रावधान किया है और वह फेजिज में काम किया जाएगा ताकि डीसिल्टिंग पूरी तरह से की जा सके।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूं। विशेष करके फरीदाबाद जिले की गुड़गांव कैनाल से सिंचाई होती है। मैं स्वयं पी0ए0सी0 कमेटी के दौरे पर गया था और उस समय हमने जहां से गुड़गांव कैनाल शुरू होती है, वहां से देखा है। हमारे साथ चौधरी अजमत खां जी भी थे। उस नहर के अन्दर उस समय कम से कम 10 या 12 फुट तक गाद जमी हुई थी। उस समय हमने वहां पर एक पशु चराने वाले से कहा कि भाई आप इस नहर में घुसिए। वह उस नहर में तीन तीन फुट पानी के अन्दर से पैदल चल कर निकल गया। उसमें उस समय केवल तीन फुट ही पानी था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सैशन के तुरंत बाद अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश देंगे कि अगली बरसात शुरू होने से पहले उसकी गाद निकलवा दी जाए। पानी हमारे पास उपलब्ध है लेकिन डीसिल्टिंग न होने की वजह से पानी हम पूरा नहीं ले पाते। क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि आने वाले 2–3 महीने में इस नहर की डीसिल्टिंग करा दी जाएगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सिर्फ मिट्टी निकालनी होती है। हमारे एरिया के लिए वह जीवन मरण का सवाल है। लेकिन मंत्री महोदय इसको बहुत लाईटली लेते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहां पर जाएं और अधिकारियों को आदेश दें। इस पर कोई 2–4 करोड़ रुपये खर्च नहीं होंगे। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि 2 महीने के अन्दर इस नहर की डीसिल्टिंग करवा दी जाएगी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह बात दुरुस्त है कि इसमें काफी गाद है। आगरा कैनाल 1960 में बननी शुरू हुई थी और 1967 में इसमें पानी आना शुरू हुआ। 1967 के बाद इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि यह पैरिनियल नहीं है इसलिए कुछ पानी राजस्थान को भी जाता है। वहां काफी गाद जमी हुई है। आगरा कैनाल में से पहले गुड़गांव फीडर निकलती है और फिर गुड़गांव कैनाल। गुड़गांव फीडर में काफी गाद है। उसका पानी बंद नहीं हो सकता क्योंकि हमें थर्मल प्लांट

[चौधरी जगदीश नेहरा]

फरीदाबाद को पानी लगातार देना पड़ता है इसलिए पानी लगातार चलता रहता है जिस वजह से गाद नहीं निकलती । इस साल हम कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ कैपेसिटी बढ़ाई जाये। इस साल हमने इस काम के लिए पैसे का भी प्रावधान रखा है और गाद निकालने का काम शुरू करेंगे ।

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने लिखित जवाब में बताया है कि इस नहर में 200–300 क्यूसिक्स पानी चलता है । मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस नहर का 420 क्यूसिक्स पानी तो यमुना में डाला जाता है इसलिए हमारी मांग है कि हमें 370 क्यूसिक्स पानी दिया जाये यमुना में पानी जा रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा । अब ये कहते हैं कि इसका काम हम फेजिज में करेंगे । आप भी और मंत्री जी भी जमींदार हैं, आप को पता है कि यदि रास्ते में कोई रोड़ा भी आ जाये तो पानी में रुकावट आती है । इसलिए मेरी मांग है कि इस नहर की फेजिज में डीसिल्टिंग न करके इकट्ठी कराई जाये । एक बात इन्होंने जवाब में कही थी थर्मल प्लांट को पानी देते हैं इसलिए इसको बंद करके साफ नहीं कर सकते । ये दिखाते हैं कि 13 फुट पानी चलता है जबकि असल में उसमें 3 फुट पानी चल रहा होता है । पानी कम आने की वजह से मछलियां भी मर जाती हैं और किसानों की फसल भी खराब हो जाती है । यदि इस नहर का हमें पानी मिल जाता है तो फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात एरिया का 80 प्रतिशत एरिया जो सिंचाई के बगैर है, वहां सिंचाई हो सकती है और फसल की पैदावार बढ़ सकती है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी फेजिज में गाद न निकाल कर इकट्ठी निकाली जाये और यह काम ये कब तक शुरू करवा देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : इनकी यह बात सही है कि ज्यादा पानी यमुना में चलता है । वहां पर 400 क्यूसिक्स के करीब जाता है और इस नहर को 200–300 क्यूसिक्स पानी मिलता है इसलिए लोसिज ज्यादा हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, यमुना काफी बड़ी नदी है और हमारे पास इसका कोई हल भी नहीं है । जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि हम ऐसा प्रावधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी डिसिल्टिंग हो सके ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे लोगों की भावना को मंत्री जी समझ नहीं रहे हैं । हमारे जिले पर मुख्य मन्त्री जी की विशेष कृपा रही है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मिट्टी नहरों से निकालने के लिए वे तुरन्त आदेश देने की कृपा करें ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है । मैं श्री बिरला जी से कहूंगा कि वे आपकी भावना को खूब समझते हैं । काफी मैम्बर्ज इस बात से चिन्तित हैं कि नहरों की गाद निकलवाई जाए और डीसिल्टिंग होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 1991 में बनी थी तो हमने सबसे पहले यही फैसला किया था कि नहरों, माईनरों और रजबाहों की सफाई तथा डीसिल्टिंग करवाई जाए ताकि टेल तक पानी पहुंच सके । हमने आगरा नहर को भी ठीक करवाया । अध्यक्ष महोदय, जितना काम होना चाहिये था, उतना नहीं हो सका । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि चाहे हमें यह नहर 7 दिन के लिए बन्द करनी पड़े, बरसात से पहले-पहले इसकी पूरी सफाई करवाएंगे । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सारी स्टेट में जहां कहीं भी कोई नहर अटी हुई है, जहां पर भी गाद है उसकी पूरी सफाई करवाएंगे । (थम्पिंग)

Shortage of Urea Fertilizer

*1121. **Shri Dhirpal Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is a shortage of Urea fertilizer in the State during the year 1994-95 ; if so the reasons therefor ; and

(b) the sub-divisionwise names of the agencies to whom the quota of Urea fertilizer was allotted in the State during the period from December, 1994 to-date?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) :

(a) while there was an adequate supply of urea during kharif. 1994, shortage of urea in some parts of the State was reported in months of January and upto middle of February, 1995. Reasons for the same included the following—

(i) Uniform and wide-spread rains in January. 1995 reasulting in immediate spurt of demand for urea at one time throughout the State ;

(ii) Break-down of NFL Plant, Panipat during the peak consumption period of Rabi season ;

(iii) Non-availability of Railway Wagons, timely ; and

(iv) panic-buying of urea by farmers.

(b) No allocation of urea is made sub-division/agencywise in the State. The allocation is made by the Govt. of India for the entire State. All the fertilizer supplying agencies have their own network in the State. As usual, these agencies supplied fertilizers in the entire State through their wholesalers/retail dealers.

श्री धारपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश की है तथा 4 रीजन्ज भी दिए हैं जो कि इन्होंने आपके सामने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि एन0एफ0एल0 में क्या कोई खराबी हो गई थी ? जो खाद की ऐलोकेशन सरकार द्वारा दिसम्बर, जनवरी या फरवरी में की गई थी, वह कितनी खराबी की थी और कितना खाद इस खराबी की वजह से नहीं मिला ? अध्यक्ष महोदय, एक रीजन जो इन्होंने बताया, वह रेलवे के वैगन्ज न मिलने का बताया है। मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि रेलवे वैगन्ज की जिम्मेवारी क्या किसान की है? सरकार इस जिम्मेदारी से भी भाग रही है और उस प्रश्न का जवाब दे रही है कि किसानों ने स्टाक कर लिया, इससे ज्यादा कोई गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं हो सकती है। किसान बेहद दुखी और परेशान था। बड़ी मुश्किल से राशन कार्ड पर एक कट्टा खाद की सप्लाई उसको मिलती थी। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतना गैर जिम्मेदाराना ब्यान वह क्यों दे रहे हैं ?

10.00 बजे | **श्री अध्यक्ष :** आप लैक्चर न दें, आप प्रश्न पूछें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? दूसरे इन्होंने काल अटैन्शन मोशन के जवाब में कहा था कि आदमपुर में 6 हजार टन की सप्लाई की है। अब ये रिप्लाई में कह रहे हैं कि यह सारे का सारा अधिकार केन्द्र का है। तो इन्होंने किस प्रकार से आदमपुर में कोटा सप्लाई कर दिया, इस बारे में ये पोजीशन क्लीयर करें।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी ने एक बात यह कही कि जब यह प्लांट बिगड़ गया था तो कितना स्टेट को कोटा मिलना था और कितना नुकसान हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो ऐलोकेशन सैन्टर से स्टेट को मिलनी थी वह 1.81 लाख टन की थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह जो प्लांट सीजन में 20 दिन बन्द रहा उससे 35 हजार टन का नुकसान हुआ है और जिससे दिक्कत भी हुई है। लेकिन प्लांट के चलते ही हमने प्रोडक्शन पर कंट्रोल किया। स्टेट में जहां-जहां पर भी कमी थी, उस कमी को दूर करने की कोशिश की। आपको तो यह मानना चाहिए कि यह कमी हरियाणा स्टेट में ही नहीं थी अगर आप पार्लियामैंट की डिस्कशन देखें तो यह प्रोब्लम सारे देश में थी। अगर बारिश हो जाए और डिमाण्ड बढ़ जाए, तो उसमें दिक्कतें तो आती हैं। वह दिक्कत हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पंजाब, राजस्थान, यू0पी0 और बिहार में भी थी। जब दिक्कत आती है तो वैगन्ज या रैक्ज टाईमली नहीं मिलते हैं। (विघ्न) लेकिन गवर्नमैंट ने इसमें मुख्य मंत्री जी और मंत्री लैवल पर सैन्टर मिनिस्टर से बात की और डिपार्टमैंट ने दिन रात एक करके, यहां पर और दिल्ली में प्लांट के ऊपर ड्यूटियां बांट कर इसमें शार्टेज कम करने की कोशिश की है। (विघ्न)

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, जो हुआ, वह तो हो गया । किसान परेशान हुआ और जो हालात पैदा हुए, उसमें उसने गुजारा किया । अब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से यह आश्वासन चाहता हूं कि आईन्दा किसानों को यूरिया की कमी न हो और उसे टाइम पर यूरिया दी जानी चाहिए । दूसरे प्राईवेट डीलर्ज की बजाए ज्यादा से ज्यादा खाद सोसाईटी को दी जाए । आप उनकी लोन देने की कैपेसिटी को बढ़ाएं तभी वे ज्यादा से ज्यादा खाद इकट्ठी ले पाएंगे । ये सारी बातें प्राईवेट डीलर्ज से छिपाते नहीं है । उनको जब पता चल जाता है तो वे माल को स्टोर कर लेते हैं जिससे प्रोब्लम आती है । इसलिए आप सोसाईटी को ज्यादा से ज्यादा लोन देने की व्यवस्था करें और प्राईवेट डीलर्ज पर पाबन्दी लगाएं ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि गवर्नमैंट ने बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शंज दे रखी है कि जहां पर भी यह शिकायत आए कि खाद ब्लैक हो रहा है या कुछ और गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। जहां पर भी इस तरह की बातें नोटिस में आई तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए हैं । इसके अलावा पहले धीरपाल सिंह जी ने यह भी कहा था कि आदमपुर में खाद 6 हजार मीट्रिक टन चला गया। सर, मेरे पास फिगर्ज हैं, मैं आप को इस बारे में बता देता हूं । आदमपुर में टोटल खाद में से चार हजार 541 मीट्रिक टन खाद दिया गया जबकि हिसार जिले में टोटल 23 हजार 407 मीट्रिक टन खाद दिया गया और टोहाना में 6 हजार 820 मीट्रीक टन खाद दिया गया यानी टोहाना में ज्यादा ही खाद दिया है । इसी तरह से दूसरे भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर खाद ज्यादा दी गई है । स्पीकर सर, जहां से भी डिमांड आती है वहीं पर खाद दे दिया जाता है । जिन एरियाज में धैंचा और व्हीट की सोईंग अरली होती है, वहां पर खाद पहले भेजनी पड़ती है और जहां पर कौटन की बीजाई होती है, वहां पर खाद बाद में भेजनी पड़ती है । जहां पर भी खाद की आवश्यकता होती है, हमें वहीं पर खाद भेजना पड़ता है ।

श्री वीर पाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा अपने लायक कृषि मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि मैंने जो वैगन्ज के बारे में कहा था तो इन्होंने कहा था कि चूंकि बरसात हो गयी इसलिए वैगन्ज की कमी हो गयी । स्पीकर सर यह एक लायक मंत्री हैं । अभी हमारे एक साथी ने मेवात के बारे में सवाल किया था, सर, आज कल फरीदाबाद, गुड़गांव, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, रोहतक और सोनीपत जिलों में जैसा कि कृषि मंत्री जी को भी जानकारी होगी नवम्बर के पहले पहले हफ्ते में ही इन 6 जिलों में गेहूं की बिजाई शुरू हो जाती है और नवम्बर के लास्ट तक यह चलती रहती हैं । इसलिए खाद की डिमांड भी नवम्बर के सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक होती है । लेकिन इन 6 जिलों में कहीं पर भी खाद नहीं मिली । बरसात तो 15 जनवरी 1995 को हुई और गेहूं की बिजाई नवम्बर के पहले हफ्ते में शुरू हुई । तो स्पीकर सर, इस बात को

[श्री धीर पाल सिंह]

देखते हुए ये कैसे कह रहे है कि बरसात होने से खाद की डिमांड बढ़ गई ? मैंने इन से कहा था कि वैगन्ज की डिमांड तो हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार के पास अपनी जरूरत के अनुसार भेजनी चाहिए थी ? आप बताएं कि कितनी डिमांड आपने केन्द्र सरकार को वैगन्ज की भेजी और उसके मुकाबले में आपको कितने वैगन्ज उपलब्ध हुए ? इसके अलावा सर, मेरा प्रश्न यह है कि हैफेड को कितनी खाद स्टाक करने के आदेश दिए गए तथा खाद की इस डिमांड को देखते हुए हैफेड ने कितनी खाद का स्टाक किया ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि अब धीरपाल जी सारी स्टेट में रेलियां करते फिर रहे हैं । इनको फसल भी नजर आती ही होगी और इनको पता होगा कि स्टेट में कैसी फसलें खड़ी हैं ।

श्री धीर पाल सिंह : उसमें आपकी मेहरबानी तो कुछ भी नहीं है । आप तो किसानों का पानी, बिजली और खाद भी खा गए। मैं आपकी काफी इज्जत करता हूं क्योंकि आप एक जिम्मेदार और सीनियर मंत्री है । (विघ्न) स्पीकर सर, इनसे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रिप्लाई देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता । (विघ्न)

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि इस साल ज्यादा एरिया व्हीट की फसल में कवर हुआ है क्योंकि इस साल बारिश अच्छी थी । बारिश अच्छी होने की वजह से ज्यादा एरिया क्राप में कवर्ड है । आप बताएं कि आप के टाईम में क्यों दिक्कतें आ रही थीं ? बारिश इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि मुख्य मंत्री जी पर परमात्मा का आशीर्वाद है । सर, मेरे पास यह फिगर्ज हैं कि इस साल हमने जनवरी और फरवरी में यूरिया की कितनी सप्लाई हासिल की । जो सप्लाई हमने हासिल की है वह पिछले साल से ज्यादा है । पिछले साल तो जनवरी में एक लाख 42 हजार 22 मीट्रिक टन खाद हमें मिली है और इस साल रबी की फसल में हमें एक लाख 32 हजार 308 मीट्रिक टन खाद मिली । फरवरी में पिछले साल 86 हजार 680 मीट्रिक टन खाद हमने हासिल की थी जबकि इस साल फरवरी में हमने एक लाख 37 हजार 878 मीट्रिक टन खाद की सप्लाई हासिल की है । अब आप बताएं कि इसमें क्या कमी रह गयी ।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, जिस तरह से राज्य सभा में चौधरी अजित सिंह को ठीक जवाब न देने के लिए फटकार लगाई गयी थी उसी तरह से तो मैं इनको फटकार लगाने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सही जवाब देने के लिए इन्हें जरूर कहें । 25-25 रुपये किसानों ने यूरिया के एक-एक कट्टे पर ब्लैक दी हैं । एक तरफ तो कहते हैं कि हमको खाद ज्यादा मिली और दूसरी तरफ कहते हैं कि रेलवे के वैगन नहीं मिले । (विघ्न) कौन सी बात सही है ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

Death occurred in police custody

*1038. **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Chief Minister be pleased to state that the total number of deaths if any, occured in police custody and in encounter with the police during the period from July, 1991 to date in the State to-getherwith the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : एक विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण तालिका

जुलाई, 1991 से 31-1-1995 तक की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 45 व्यक्ति पुलिस के साथ मुठभेड में मारे गये। जिनका विवरण निम्नलिखित हैं :-

पुलिस हिरासत में मृत्यु

वर्ष	जिला		विवरण
1	2		3
जुलाई, 1991 से	कैथल	1.	दिनांक 28-12-91 को जग्गा पुत्र हजुरा सिंह मजहबी सिख निवासी दराज की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। उप-मण्डल अधिकारी गुहला द्वारा जांच की गई जो फाईल कर दी गई क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोषी नही पाया गया।
1992	यमुनानगर	2.	महेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जट सिख निवासी सुलर जिला पटियाला (पंजाब) की दिनांक 5/6-8-92 को पुलिस लॉक-अप में मृत्यु हुई। उप मण्डल अधिकारी जगाधरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा नं० 346 दिनांक 3-12-92 धारा 323/342/304 भा.द.स. थाना जगाधरी दर्ज हुआ। मुकदमा कैन्सिल हुआ था क्योंकि मृत्यु अधिक मात्रा में मादक पदार्थ खाने से हुई थी। दोषी मादक द्रव्य खाने का आदि था।
	कैथल	3.	कृष्ण कुमार पुत्र जती राम बाल्मिकी निवासी ज्यौतिसर जिला कुरुक्षेत्र ने दिनांक

1	2		3
			24-9-92 को पुलिस हवालात में आत्म-हत्या कर ली । उप मण्डल अधिकारी कैथल द्वारा जांच करने पर कोई भी पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।
	हिसार	4.	बचना राम निवासी जाखल मण्डी को बेरहमी व बुरी तरह से पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई । उप निरीक्षक रामेश्वर दयाल के विरुद्ध मुकदमा नं0 145 दिनांक 13-8-92 धारा 302/201/34 भा.द.स. थाना जाखल दर्ज किया गया। दोषी को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में दिया गया । दोषी दिनांक 3-12-94 को न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है ।
1993	कुरुक्षेत्र	5.	लीलू राम पुत्र मुन्शी राम निवासी गान्धी-नगर थानेसर को स0उ0नि0 पाले राम द्वारा नाजायज शराब बेचने के आरोप में थाने लाया गया था । जब लीलू राम ने थाना के आहाता में प्रवेश किया तो उसका पैर उसके पाजामा की मोरी में अटक गया जिसके कारण वह गिर गया और बेहोश हो गया और उसके सिर पर लगी चोट के कारण खून बहना आरम्भ हो गया । उसे तुरन्त लोक नायक जयप्रकाश हस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । श्रीमति रुक्मणी विधवा लीलू राम की शिकायत पर स0 उ0नि0 पाले राम व अन्य पुलिस कर्म-चारियों के विरुध मुकदमा नं0 129 दिनांक 16-4-93 धारा 302/34 भा0द0स0 थाना थानेसर दर्ज हुआ । इस मुकदमा की तफतीश रोकी जा चुकी है क्योंकि मुकदमा उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

1	2		3
	सोनीपत	6.	धर्मवीर पुत्र रामचन्द्र निवासी विश्वलान को पेट में दर्द होने के कारण मौत हो गई । उप मण्डल अधिकारी सोनीपत की जांच के के अनुसार मौत प्राकृतिक थी और कोई भी पुलिस कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी नही पाया गया ।
	जींद	7.	ज्ञानी राम पुत्र रती राम जाति बाल्मिकी वासी कर्मगढ जिला जींद को सुल्फा बेचने के शक पर थाना नरवाना लाया गया था जहां उसे सिपाही रूलदा राम और लांगरी हवा सिंह द्वारा पीटा गया और उन्होंने उसे पानी में कुछ गोलियां भी दी । उसे सिविल अस्पताल नरवाना में दाखिल कराया गया जहा दिनांक 9-11-93 को उसकी मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 382 दिनांक 9-11-93 धारा 302/34 भा. द. स. थाना नरवाना दर्ज हुआ । दोषियों को गिरफतार करके चालान दिनांक 15-1-94 को न्यायालय में दिया गया । दोषी न्यायालय द्वारा दिनांक 19-1-95 को बरी किया जा चुका हैं ।
1994	यमुनानगर	8,	देवेन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह, मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह और उसके भाई मनजीत सिंह निवासी थान यमुनानगर को दिनांक 28-10-94 को उनसे 81 गैस सिलैण्डर ट्रक सहित बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था । दिनांक 29-10-94 को सुबह उनको चाय दी गई जो सी0आई0ए0 यमुनानगर के बाहर स्थित दुकान से लाई गई थी । वे चाय पीने के बाद बेहोश हो गये । उन्हें तुरन्त नजदीक के गांव अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी

1	3	3
		मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 233 दिनांक 29-10-94 धारा 302/328/330/342 भा0द0स0 थाना फरकपुर दर्ज किया गया । अभी तक किसी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी को गिरफतार नहीं किया गया है । उप मण्डल अधिकारी जगाधरी द्वारा भी धारा 176 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिनकी रिपोर्ट अभी वांछित है वे निम्नलिखित अपराधों में संलिप्त थे :- 1. यमुनानगर से 375 गैस सिलैण्डर व आभूषणों की डकैती मु0 नं0 77/93 धारा 395/397 भा0द0स0 थाना सदर यमुनानगर । 2. वर्ष, 1991 में एक स्कूटर चोरी मु0 नं0 340/91 धारा 379/411 भा0द0स0 थाना शहर यमुनानगर । 3. वर्ष, 1994 में एक वृद्ध औरत के साथ बलात्कार और लूट-मु0 नं0 59/94 धारा 302/392 भा0द0स0 थाना शहर यमुनानगर । 4. अम्बाला कैंट से एक कार चोरी और जब पीछा किया गया तो पुलिस पर फायरिंग- मु0नं0 149/94 धारा 379 भा0द0स0 थाना अम्बाला कैंट । 5. 300 गैस सिलैण्डरों की डकैती और ड्राईवर महेन्द्र सिंह सैनी निवासी आलोवाल थाना सदर होशियारपुर (पंजाब) की हत्या ।

1	2	3
		9. राजेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह जाट निवासी बलेरखान जिला जींद को मुकदमा नं0 324/93 थाना सदर कैथल की तफ्तीश के लिए बुलाया गया था । उसने जहरीली गोलियां खा ली और उसे लोक नायक जयप्रकाश हस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 40 दिनांक 9-2-94 धारा 309 भा0द0स0 थाना थानेसर जिला कुरुक्षेत्र दर्ज किया गया। इस मुकदमा में दिनांक 13-6-94 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	फरीदाबाद	10. दिनांक 30-1-94 को नानक चन्द पुत्र रामस्वरूप जाति बाल्मिकी निवासी बादली को मुकदमा नं0 34/94 धारा 363/366 भा0द0 स0 थाना सदर पलवल से गिरफ्तार किया गया था । उसने थाना सदर पलवल की हवालात में अपनी गर्दन पर कपड़ा लाक-अप की ग्रिल के साथ बांध कर फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 249 दिनांक 30-4-94 धारा 302/34 भा.द.स. थाना शहर पलवल में स0उ0नि0 लेख राज के विरुद्ध दर्ज किया गया । इस मुकदमा का चालान दिनांक 1-2-95 को न्यायालय में दिया जा चुका है ।
	पानीपत	11. लाल सिंह पुत्र नन्हा सिंह निवासी सुदापुर को उ0नि0 रामफल प्रबन्धक थाना द्वारा दिनांक 9-5-94 को मुकदमा नं0 108/94 धारा 363/366/376 भा0द0स0 थाना माडल टाऊन, पानीपत की तफतीश के लिए थाना में लाया गया था । दोषी

1	2		3
			ने फिनाईल की बोतल के टुकड़े को गले में मारकर आत्म हत्या कर ली। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 118 दिनांक 15-5-94 धारा 342 भा0द0स0 थाना माडल टाऊन पानीपत में उप-निरीक्षक रामफल के विरुद्ध दर्ज किया गया दोषी को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध चालान न्यायालय में दिया गया दोषी दिनांक 12-11-94 को न्यायालय द्वारा बरी हो चुका है।
	रोहतक	12.	अमरजीत पुत्र सैसन निवासी गांव सीसर थाना महम जिला रोहतक को श्रीमति बिमला देवी पत्नी बनवारी लाल जो उसी गांव की रहने वाली थी, की लड़की के साथ अमरजीत द्वारा बुरा बर्ताव करने की शिकायत पर दिनांक 18-8-94 को थाना में लाया गया था। उससे एक चोरी शुदा साईकल भी बरामद हुई थी। उसने साईकिल चोरी के दोष को महसूस करने के कारण आत्म हत्या कर ली। उप मण्डल अधिकारी महम की जांच रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु आत्म हत्या करने से हुई।
1995	कैथल	13.	दिनांक 15-1-95 को दोषी पृथ्वी सिंह पुत्र मुन्शी राम हरिजन निवासी नन्दकरण माजरा जिला कैथल को मुकदमा नं0 5/95 थाना राजौन्द में और दोषी भूप सिंह उर्फ भूपा पुत्र गुजर सिंह निवासी गुलियाना को मुकदमा नं0 6/95 थाना राजौन्द में पुलिस दल द्वारा ले जाया जा रहा था। दोषी ने हरियाणा राज्य परिवहन की बस जो पेहेवा की ओर से आ रही थी, को स्वयं टक्कर मारी और आत्म हत्या कर ली। इस

1	2	3
		सम्बन्ध में मुकदमा नं0 19 दिनांक 19-1-95 धारा 279/304-ए भा0द0 स0 थाना कैथल में दर्ज किया गया जो अनुसन्धानाधीन है ।

योग : कुल घटना=13, कुल मारे गये व्यक्तियों की संख्या=15

पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत

1991	अम्बाला	1. दिनांक 30-10-91 को अम्बाला शहर में उग्रवादी हरबन्स सिंह उर्फ गुटका पुत्र सुच्चा सिंह निवासी चौहान थाना टान्डा जिला होशियारपुर (पंजाब) पंजाब/हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड में मारा गया । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 540/91 धारा 307 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4 टाडा (पी0) ऐक्ट थाना शहर अम्बाला में दर्ज किया गया था । इस मुकदमा में दिनांक 27-7-94 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	हिसार	2. दिनांक 8-12-91 को रतिया पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन उग्रवादी बीर सिंह उर्फ बीरु पुत्र मेला सिंह, जन्टा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जट सिख और बहादुर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह मजहबी सिख निवासी बोहा मारे गये थे । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 392 दिनांक 8-12-91 धारा 307/34 भा0द0स0 और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना रतिया दर्ज किया गया । मुकदमा में दिनांक 3-1-92 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।

1	2	3
	सिरसा	3. दिनांक 15-11-91 को सिरसा पुलिस के साथ मुठभेड में एक अज्ञात उग्रवादी मारा गया था। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 275 दिनांक 15-11-91 धारा 307/34 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5 टाडा (पी0) एक्ट थाना सदर सिरसा दर्ज किया गया। इस मुकदमा में दिनांक 9-1-92 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	सिरसा	4. दिनांक 4-12-91 को गांव गियाना के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो उग्रवादी दर्शन सिंह निवासी कुलालाना थाना जोडकियां और जगदेव सिंह निवासी अकलिया (पंजाब) मारे गये। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 357 दिनांक 4-12-91 धारा 307/34 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना कालांवाली दर्ज किया गया। इस मुकदमा में दिनांक 14-12-91 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	भिवानी	5. दिनांक 14-12-91 को हरी सिंह उर्फ टहला एक कुख्यात उग्रवादी ने पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में साईनाईड खाकर आत्म हत्या कर ली। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 361 दिनांक 14-12-91 धारा 307/332/333/216 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर भिवानी दर्ज किया गया।
1992	अम्बाला	6. दिनांक 9-2-92 को पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो उग्रवादियों जिनकी पहचान करने पर अजायब सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह

1	2	3
		निवासी मदनपुर चोहाट और दूसरा ना-मालूम उग्रवादी मारे गये । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 31 दिनांक 9-2-92 धारा 307 भा0द0स0, 3/4/5 टाडा (पी.) एक्ट, और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना नारायणगढ़ दर्ज किया गया । इस मुकदमा में दिनांक 22-6-92 को अदम-पता रिपोर्ट भेजी गई ।
	अम्बाला	7. दिनांक 13-2-92 को गरनाला वायु सेना स्टेशन, के नजदीक पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी जस्सा ने आत्महत्या कर ली और दूसरा उग्रवादी मेजर सिंह मारा गया । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 49 दिनांक 13-2-92 धारा 307/309/34 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधि-नियम और 3/4/5 टाडा (पी.) एक्ट थाना सदर अम्बाला दर्ज किया गया। यह मुकदमा दिनांक 19-3-92 को अदमपता भेजा गया ।
	अम्बाला	8. दिनांक 27-5-92 को एम. टी. कालिंग अम्बाला कैन्ट के नजदीक एक उग्रवादी गुरदयाल सिंह उर्फ कोली निवासी गांव कोली थाना राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब) मारा गया । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 209 दिनांक 27-5-92 धारा 307 भा0 द0स0, 3/4/5 टाडा (पी0) एक्ट और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना अम्बाला कैन्ट दर्ज किया गया । इस मुकदमा में अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	यमुनानगर	9. उग्रवादी बलविन्द्र सिंह पुत्र सन्तोख सिंह निवासी नाहोनी (अम्बाला) पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया । इस सम्बन्ध में

1	2	3
		मुकदमा नं0 21 दिनांक 7-2-92 धारा 4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट 307 भा0द0 स0, थाना छछरौली, जिला यमुनानगर दर्ज किया गया इस मुकदमा में दिनांक 3-3-92 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	यमुनानगर	10. गांव गुमथला राव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कट्टर उग्रवादी हरमीत सिंह उर्फ टौंची, ध्यान सिंह, उसकी पत्नी और पुत्र मारे गये । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 195 दिनांक 5-12-92 धारा 307 भा0द0स0 और 4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना रादौर दर्ज किया गया । मुकदमा मे दिनांक 8-4-93 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	कुरुक्षेत्र	11. दिनांक 6-1-92 को शाहाबाद के निकट तीन उग्रवादी दलजीत सिंह उर्फ मल्लाह निवासी मल्लाह थाना जगरांव जिला लुधियाना (पंजाब), जगदीश उर्फ दिशा पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी जिला पटियाला और जसवीर सिंह उर्फ बालु निवासी जिला गुरदासपुर (पंजाब), पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 5 दिनांक 6-1-92 धारा 307/ 34 भा0द0स0, 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शाहबाद दर्ज किया गया। इस मुकदमा में दिनांक 31-7-92 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।
	कुरुक्षेत्र	12. दिनांक 29-9-92 को पेहवा के नजदीक पेहवा पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो उग्रवादी नत्था सिंह पुत्र जोगा सिंह जट सिख निवासी जुलभत थाना पेहवा और रणजीत

1	2	3
		सिंह मारे गये । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 249 दिनांक 29-9-92 धारा 307 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना पेहवा दर्ज किया गया। चालान दिनांक 6-9-93 को न्यायालय में दिया गया। यह मुकद्मा न्यायालय में विचाराधीन है ।
	सिरसा	13. दिनांक 24-8-92 को रोड़ी पुलिस के साथ मुठभेड में एक उग्रवादी रूप सिंह मारा गया । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 10 दिनांक 24-8-92 धारा 307/353/364/148/149 भा0द0स0 थाना रोड़ी दर्ज किया गया । इस मुकदमा में दिनांक 21-5-93 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	रोहतक	14. दिनांक 1-10-92 को जेर समायत कैदी जयवीर को जब सैसन जज रोहतक की अदालत में पेश करके वापिस हिसार लाया जा रहा था, तो विरोधी पार्टी द्वारा मारा गया । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 248 दिनांक 1-10-92 धारा 302/304/34 भा0द0स0 और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदम दर्ज किया गया । दोषी राकेश पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी कंजावला, बलराज पुत्र राम सरूप जाट निवासी मितराव को गिरफतार किया जा चुका है । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।
1993	कुरुक्षेत्र	15. दिनांक 15-3-93 को झांसा पुलिस के साथ मुडभेड में उग्रवादी हरदीप सिंह पुत्र सुखा सिंह निवासी जुलमत, सज्जन सिंह उर्फ दरबारा सिंह जट सिख निवासी जुलमत और गुरमीत सिंह, बुटर निवासी नैनीताल (उत्तर प्रदेश) मारे गये थे । सिपाही

1	2	3
		दलेल सिंह नं 0 527/कुरुक्षेत्र भी मारा गया गया था। इस सबन्ध में मुकदमा नं 30 दिनांक 15-3-93 धारा 302/307 भा0 द0स0 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना झांसा दर्ज किया गया। दिनांक 27-3-93 को मुकदमा में अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	हिसार	16. दिनांक 30-3-93 को हिसार पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन उग्रवादी बलविन्द्र सिंह उर्फ बुलेट और तरसेम सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी करन्दी तथा सुखदेव सिंह उर्फ चिड़िया पुत्र राम गोपाल पण्डित निवासी खिमाला (पंजाब) मारे गये। स0उ0नि0 सूबे सिंह नं0 461/हिसार भी इस मुठभेड़ में गोली लगने से मारा गया था। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 96 दिनांक 30-3-93 धारा 302/307/148/149 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना रतिया दर्ज किया गया।
	सिरसा	17. दिनांक 21-2-93 को गांव फूलों के नजदीक दो ना मालूम उग्रवादी सिरसा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 56 दिनांक 21-1-93 धारा 307/34/332/353 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना सदर डबवाली दर्ज किया था। इस मुकदमा में दिनांक 10-4-93 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	सिरसा	18. दिनांक 20-5-93 को गांव असीर थाना कालांवाली से तीन उग्रवादी महल सिंह,

1	2	3
		बैअन्त सिंह उर्फ बच्ची पुत्र ज्वाला सिंह जट सिख निवासी बक्सीवाल। थाना बरेटा जिला मानसा और प्रकाश सिंह पुत्र चान्द सिंह जट सिख सिवासी हंबूरारा थाना सदर डबवाली पुलिस के साथ मुठभेड में मारे गये थे । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 126 दिनांक 20-5-93 धारा 307/34 भा0द0स0, 25/54/59 शस्त्र अधिनियम और 3/4/5/6 टाडा (पी0) एक्ट थाना कालांवाली दर्ज किया गया । इस मुकदमा में दिनांक 5-6-93 को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई।
	रोहतक	19. दिनांक 14-12-93 को थाना पिल्लूखेडा (जीन्द) और सांपला (रोहतक) की पुलिस के साथ मुठभेड़ में विरेन्द्र उर्फ पप्पू और देवेन्द्र उर्फ पिन्की पुत्र धर्मवीर जाट निवासी खाराबड़ मारे गये थे । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 411 दिनांक 21-12-93 धारा 148/149/353/186/307 भा0द0स0 और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सांपला दर्ज किया गया । यह मुकदमा अनुसन्धानाधीन है। एक सैसन जज की अध्यक्षता में जांच आयोग भी इसकी जांच कर रहा है ।
1994	कुरुक्षेत्र	20. दिनांक 10-5-94 को पेहवा पुलिस के साथ मुठभेड के दौरान दलेर सिंह ने साईनाईड खाकर आत्म हत्या कर ली । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 120 दिनांक 10-5-94 धारा 3/4 टाडा (पी0) एक्ट थाना पेहवा दर्ज किया गया । चालान न्यायालय में दिया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

1	2	3
	रोहतक 21.	दिनांक 25-8-94 को दो जेर समायत कैदी विरेन्द्र सिंह और बशपाल जिन्हें पुलिस पार्टी सोनीपत न्यायालय में पेश करके वापिस ला रही थी तो खरखौदा-रोहतक रोड़ पर गांव आसन के पास उनकी विरोधी पार्टी के सदस्यों द्वारा मारे गये । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 196 दिनांक 26-8-94 धारा 148/149/302/307/353/120बी.भा.द.स. और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सांपला दर्ज किया गया । इस मुकदमा का चालान दिनांक 24-11-94 को न्यायालय में दिया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।
	सोनीपत 22.	दिनांक 26-10-94 को जींद की एक पुलिस पार्टी द्वारा दो कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों जितेन्द्र पहल और रणधीर सिंह को जीप में मुकदमा नं0 302/94 थाना शहर जींद की तफतीश के दौरान 50,000/- रु0 की बरामदगी करने के बाद जब वापिस जींद लाया जा रहा था तो रात को करीब 9-15 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने गांव ईसरपुर खेड़ी थाना बरोदा जिला सोनीपत के पास अभियुक्तों और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की । उपरोक्त दोषियों को गोली लगी और मारे गये । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 128 दिनांक 26-10-94 धारा 302/307/323/353 भा0द0स0, और 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना बरौदा जिला सोनीपत दर्ज किया गया जो अनु-सन्धानाधीन है । इस मुकदमा में पप्पू गाबा को गिरफ्तार किया जा चुका है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक जितेन्द्र

1	2	3
		पहल हत्या, फिरौती/बलात्कार के लिए अपहरण/अपनयन के 12 और अन्य मुकदमों में संलिप्त था । उसने अन्य 7 व्यक्तियों सहित एक कुम्हार लड़की के साथ उसके भाई को ट्रैक्टर से बांधने के बाद बलात्कार किया था । रणधीर सीसर हत्या/डकैती/लूट और अपहरण आदि के 12 मुकदमों में संलिप्त था । वे भिवानी के सतपाल पहाड़ी के बहुत नजदीकी साथी थे जो लेखू, पप्पू, गाबा, गुलशन गाबा और काकू के अपहरण में भी संलिप्त था ।

प्रो0 शेर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो हृदय विदारक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी हैं जिसमें पुलिस कस्टडी में 13 और पुलिस एनकाउन्टर में 22 आदमी मारे गए और भी घटनाएं हुई हैं लेकिन इनकी कलम दबात ने कम लिखा है। पुलिस कस्टडी में जो 13 आदमी मारे गए हैं उनमें से 5 हरिजन हैं। ये हरिजनों का बार-बार नाम लेते हैं और कहते है कि यह हरिजन हितैषी सरकार है। पुलिस कस्टडी में जो मरे, उनके बारे कोई कार्यवाही नहीं हुई सिर्फ यह लिख दिया कि किसी ने तो फांसी लगा ली और किसी ने बोतल से गला काट लिया, किसी ने बस से टक्कर मारी, जो लोग पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं, उनकी ऐन्टायरली रिसपॉसिब्लिटी पुलिस वालों की होती है कि उनको जो खाना दिया जाए, उसकी अच्छी तरह जांच कराई जाए। एक के बारे यह लिख दिया कि बाहर से चाय आ गई, चाय पीकर मर गया। एक के बारे में लिख दिया कि जा रहा था चलते-चलते हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मारी। जो फिगर दी है, इसमें सबसे हृदय विदारक बात यह है कि कोई मर गया उसकी एस0 डी0 एम0 से इक्वायरी करवा ली और रिपोर्ट में उसने कहा कि पेट के दर्द से मर गया । I think, S.D.M. is no authority to give the certificate. क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि एस0 डी0 एम0 से जो रिपोर्ट लिखवाई गई वह उसने प्रशासनिक दबाव से लिखी ? इनको चाहिए था कि मैडीकल जांच करवाते । जो अधिकतर लोग मरे हैं, उनके बारे में एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट को उचित मानकर सब्र कर लिया। क्या मुख्य मंत्री जी जूडीशियल इक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं । इसी तरह से जीतेन्द्र पहल को कहते हैं कि दो आदमियों ने मार दिया। पुलिस का छर्रा भी नहीं लगा । पुलिस को कोई चोट नहीं आई और जीतेन्द्र पहल पुलिस कस्टडी में मर गया । यह जीतेन्द्र पहल ऐनकाउन्टर में मारा गया और यह दिखा दिया गया कि पुलिस वाले साथ थे, किसी ने उसको गोली मार दी अगर गोली मार दी तो पुलिस वाले कहां थे ? हरियाणा में कोई रूल आफ ला नहीं है । रूल आफ जंगल है।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, छतरसिंह चौहान जी प्रोफैसर हैं और उन्होंने बजाये सवाल पूछने के, एक लम्बा चौड़ा भाषण ही दे मारा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है । जिस तरह से उन्होंने लैक्चर दिया मैं भी उसी प्रकार का ही जवाब दूंगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टेट में ला एण्ड आर्डर की हालत बहुत ही अच्छी है, शानदार है । साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि पुलिस हिरासत में हरिजन पांच मरे हैं । आप जानते हैं स्पीकर साहब, कि पुलिस हिरासत में हरिजन भी मरते हैं, और दूसरे भाई भी मरते हैं । कुछ कारणों से लोग अपने ही घर में हार्ट फेल होने से भी मर सकते हैं, वैसे भी मर सकते हैं । लेकिन जो मरे उनमें टोटल 15 लोग ही मरे । हमने दस मुकदमें दर्ज किये और वह भी पुलिस के खिलाफ ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : केवल दो ही मुकदमें चल रहे हैं । बाकी सारे बरी हो गये क्योंकि वे मुकदमें ही इस तरह के बनाये गये होंगे । (शोर)

चौधरी भजन लाल : सिर्फ एक कैंसिल हुआ है । एक अदमपता है । एक कोर्ट के विचाराधीन है तीन बरी हुए हैं और चार जेरे तफतीस हैं । दूसरे इन केसिज में पुलिस के जो अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं, उनमें एक डी० एस० पी०, एक इंस्पैक्टर, एक सब-इंस्पैक्टर, दो सहायक सब-इंस्पैक्टर्ज, दो हैड-कांस्टेबलज और एक सिपाही शामिल हैं । इसी तरह से हमने एक डी० एस० पी०, दो इंस्पैक्टर्ज, तीन ए० एस० आईज०, 6 हैड-कांस्टेबलज, 11 कांस्टेबलज सस्पेन्ड किये हैं । यह कार्यवाही हमने की है ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जब होती है तो एस० डी० एम० ही जांच करता है । अगर उस पर विश्वास हो तो ठीक है नहीं तो यह जांच ए० डी० सी० भी कर सकता है और इन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि बाकायदा रिपोर्ट भी इन्होंने लिखवा दी है । भई, यह इस तरह से रिपोर्ट लिखवाने का काम तो चौधरी बंसी लाल जी के समय में ही होता था जब वे मुख्य मन्त्री थे । यह तो इनके जमाने की बात हो सकती है वह बात आज के जमाने की नहीं है फिर ये इन्साफ की बात करते हैं । अगर ऐसी बात थी तो फिर ये मुकदमें दर्ज करने की आवश्यकता ही क्या थी ? तो फिर पुलिस के जो कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने गिरफ्तार किया है, उनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी ?

इसके साथ-साथ इन्होंने यह कह दिया कि 22 आदमी मुठभेड़ में मारे गये । बल्कि 45 मरे जिनमें 36 उग्रवादी थे । जिनमें सात क्रिमीनलज है और दो पुलिस कर्मचारी भी मुठभेड में मरे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर पुलिस एनकाऊंटर का जिक्र भी आया । ये पुलिस ऐनकाऊंटर तो शुरू से ही होते आए हैं और हमारे जो पुलिस

के बहादुर सिपाही हैं, वे डटकर उग्रवादियों का, क्रिमीनलज का मुकाबला करते हैं और जो बुजदिल होते हैं, वे छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि पुलिस एनकाऊंटर में मौके पर जो जवान मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, उनके साथ सरकार को सद्-व्यवहार करना चाहिये और ऐसे बहादुर सिपाही की प्रोमोशन का भी अवार्ड के तौर पर सरकार को ध्यान रखना चाहिये । विशेष कर मेरे क्षेत्र में सिटी पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में एक एनकाऊंटर हुआ था । ट्रक को लेकर बदमाश भागे । जो बल्लभगढ़ की पी0 सी0 आर0 थी उन्होंने उसका पीछा किया और फायरिंग हुई । उस ट्रक पर बदमाश थे उन्होंने हमारे एक जवान हैड कांस्टेबल जिसका पूरा नाम मेरे याद नहीं, उसको यादव कहते थे, उस पर हमला किया । उसकी आंख खराब हुई । बड़ी मुश्किल से वह सरवाईव कर पाया । उसके साथ पी0 सी0 आर0 के दीप चन्द सिपाही और दूसरा मि0 खां था । इन दो सिपाहियों ने बड़ी बहादुरी की और बहुत बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल को मौके पर मारा हमने बहुत कोशिश की कि उन दोनों सिपाहियों को कोई ईनाम मिले या परमोशन मिले । लेकिन उनको अब तक कोई परमोशन नहीं दे पाए हैं । जो मौके पर बदमाश को मारते हैं, उनके साथ कम से कम ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी आप सवाल पूछिए । (विघ्न) आप शार्ट कट करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी की भूमिका बांधनी पड़ती है । आपको जब तक मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा तो हमारी इस तरह की पालिसी होनी चाहिए कि एनकाऊंटर के अन्दर जो पूरी टीम होती है सरकार की ओर से उसको फौरी रिलीफ देनी चाहिए । उनको फौरन प्रमोशन वगैरह देनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि उनको इग्नौर किया जाए। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री सदन में आश्वासन दें और उनका केस मंगवा कर देखें और जिन बहादुर सिपाहियों ने उन बदमाशों को मारा उनको न्याय देंगे और उनको ड्यू परमोशन देंगे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब कोई पुलिस अफसर, ए0 एस0 आई0, हैड कांस्टेबल या कांस्टेबल बहादुरी में पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो उनको बाकायदा दो लाख रुपए का ईनाम और उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी दी जाती है जो लड़ते-लड़ते किसी खूंखार या खतरनाक उग्रवादी को मार देते हैं उनको प्रमोशन दी जाती है । बिसला जी ने कहा कि कई कांस्टेबलों ने बहादुरी की और उनको प्रमोशन नहीं मिली है । उनका केस मैं मंगवा कर देख लूंगा । अगर यह वाकई बहादुरी का केस है तो उनको जरूर प्रमोट करेंगे । अध्यक्ष महोदय, एक बात ओम प्रकाश सिंह चौहान जी ने पूछी, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं । यह जाट मैं पहले मिल कर गया था उन्होंने जितेन्द्र पहल का जिक्र किया । मैं बताना चाहता हूं कि 26-10-94 को निरीक्षक, नरसिंह दास, सी0 आई0 ए0 स्टाफ जींद की अध्यक्षता में एक पुलिस पार्टी दोषी जितेन्द्र पहल और रणबीर सिंह, जो पुलिस हिरासत में थे से, को मुकदमा नं० 302 दिनांक 12-7-94 धारा अधीन 364,307,

[चौधरी भजन लाल]

120-बी, 302 और 216 तथा टाडा एक्ट के तहत शहर जींद को तफ्तीश में उन द्वारा बताए माल की बरामदगी के लिए उनको जीप से ले जाया जा रहा था क्योंकि पचास हजार रुपए की उनसे बरामदगी करनी थी। उन्होंने जींद से लेबू का अपहरण करके उसको उठा लिया था और फिरौती मांगी थी। जब फिरौती नहीं दी गई तो उस आदमी का कत्ल कर दिया गया। उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए वे लोग खतरनाक और बदमाश लोग थे। उनका बड़ा भारी आपस में झगड़ा था। पुलिस जब रात के समय में वापिस जा रही थी तो रास्ते में उन पर हमला किया गया। उनमें दो आदमी मारे गए। जितेन्द्र पहले से 5 हत्याओं, दो अपहरण, एक लूट और 5 शस्त्र अधिनियम के केस में यानी कुल मिला कर 12 मुकदमों में शामिल था। रणधीर सिंह 5 हत्याओं, दो अपहरण, दो लूट, तीन चोरी तथा पुलिस से भागने का केस पहले से दर्ज था। कुल मिलाकर वह 9 मुकदमों में शामिल था। पुलिस वाले उनको लेकर जा रहे थे और हमलावरों ने हमला किया। दो आदमियों की मौत हो गई। इसमें हमने इन्स्पेक्टर को सस्पैंड किया हुआ है, केस दर्ज किया हुआ है, जिसकी बाकायदा डी० एस० पी० जांच कर रहा है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में फरमाया है कि 1991 से 31-1-1995 तक की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 45 व्यक्ति पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह संख्या 60 बनती है। यह बहुत ही चिन्ताजनक संख्या है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग पुलिस की लापरवाही से पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, क्या उस बारे में किसी पुलिस अधिकारी की आप होम सैक्रेटरी लैवल पर इन्कवायरी कराएंगे क्योंकि आप जुडीशियल इन्क्वायरी तो कराएंगे नहीं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी बताया है कि किस-किस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। एक डी० एस० पी०, एक इंस्पैक्टर, दो सब इंस्पैक्टरज, दो ए०एस०आई, 2 हैडकांस्टेबल और एक सिपाही को गिरफ्तार किया है एक डी० एस० पी०, दो इंस्पैक्टरज, तीन सब इंस्पैक्टरज, 6 हैडकांस्टेबल, और 14 सिपाहियों के खिलाफ जांच चल रही है। एक सब इंस्पैक्टर, एक ए०एस० आई० और तीन हैडकांस्टेबलों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या—1140

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या–1141

यह प्रश्न भी पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री अमर सिंह ढांढे इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Appointment of Fifth Pay Commission

*1180. **Chandhri Om Parkash Beri** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint Fifth Pay Commission on the pattern of Punjab Government in order to give relief to its employees ; if so, the time by which the Commission is likely to be appointed ?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): सरकार ने शीघ्र ही एक राज्य वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका 'शीघ्र' शब्द से क्या तात्पर्य है । ये स्पैसिफिकली बताएं कि कितने वक्त में राज्य वेतन आयोग गठित कर दिया जाएगा ? दूसरा मेरा सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने सैंट्रल पे कमिशन मुकर्रर कर दिया है । किसी खास कैटेगरी के एम्पलाईज को अगर सैंट्रल पे कमीशन ज्यादा वेतनमान दे देता है तो अगर उसी कैटेगरी को राज्य वेतन आयोग कम वेतनमान देने की सिफारिश करता है तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कौन से आयोग की सिफारिश लागू करेंगे ? आप स्टेट पे कमिशन की सिफारिश लागू करेंगे या सैंट्रल पे कमिशन की सिफारिश लागू करेंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त पढ़े-लिखे वकील हैं । अगर हम केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश मानते हैं तो हमें राज्य वेतन आयोग गठित करने की क्या आवश्यकता है ? हम अपना वेतन आयोग मुकर्रर करने जा रहे हैं । उसमें सही विचार करके कर्मचारियों को सहूलियतें दी जाएंगी ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : आप राज्य वेतन आयोग कब तक मुकर्रर कर देंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत जल्दी राज्य वेतन आयोग मुकर्रर करने जा रहे हैं । उसकी सूचना आपको मिल जाएगी ।

Loss caused by the Hail Storm

*1188. **Shri Balwant Singh Maina**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the extent of loss, if any, caused to the crops of the villages Simchana, Morkheri, Ritoli and Kabulpur in district Rohtak by the Hail Storm in the month of February, 1995 ; and

[Shri Balwant Singh Maina]

(b) whether there is any preposal under consideration of the Government to give any compensation to the affected farmers of the aforesaid villages ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 13/14 फरवरी, 1995 को जिला रोहतक में हल्की ओलावृष्टि हुई थी और प्रभावित क्षेत्रों में की गई विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार खड़ी फसलों को नुकसान केवल 5 से 10 प्रतिशत तक हुआ था ।

(ख) क्योंकि नुकसान 25 प्रतिशत से कम था इसलिये सरकार की नीति के अनुसार कोई अनुदान देय नहीं है ।

श्री बलवंत सिंह माइना : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में रोहतक जिले के अन्दर ओलावृष्टि से 5 परसैंट से 10 परसैंट का नुकसान बताया है । स्पीकर साहब, जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसको हमने मौके पर जा कर देखा है । किसानों के खेतों में फसलों में 50 परसैंट से ज्यादा नुकसान है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उनकी दोबारा गिरदावरी करा करके उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा देने के बारे में विचार करेगी ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन किसानों का 25 परसैंट से कुछ कम नुकसान हुआ है क्या उनको भी मुआवजा देने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो सवाल पूछे। एक तो मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी ओले पड़े वहां-वहां पर स्पेशल गिरदावरी मौके पर जाकर करवाई गई जोकि पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार ने की है और चैकिंग के तौर पर आया सही गिरदावरी हुई है या नहीं संबंधित एस0डी0एम0 और डी0सी0 ने भी गिरदावरी को चैक किया है । रोहतक जिले का इन्होंने जिक्र किया । मैं इनको बताना चाहता हूं हिसार जिले में भी ओले पड़े हैं । हिसार जिला तो मेरा अपना जिला है । वहां पर 64 गांवों में ओले पड़े और 5-10 परसैंट से ज्यादा वहां पर किसान का नुकसान नहीं हुआ । जिन तीन जिलों में 25 परसैंट से ज्यादा नुकसान हुआ, वे हैं भिवानी, महेन्द्रगढ़ और करनाल । इन जिलों के लिए हमने पैसा भेज दिया है और लोगों को देना भी शुरू कर दिया है । जहां पर 5-10 परसैंट नुकसान होता है, वहां भी मुआवजा देने के लिए सरकार के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है लेकिन फिर भी कुछ परसैंटेज तो फिक्स करनी ही पड़ेगी । यह तो होगा नहीं कि कहीं पर भी मामूली से ओले पड़ जाएं फिर भी वहां पर मुआवजा दिया जाए । स्टेट के साधन सीमित हैं । सरकार को साधनों को भी देखना होता है ।

जहां किसानों का नुकसान हो जाये, वहां सरकार का पहला धर्म होना चाहिए कि सरकार उनकी मदद करे और धर्म बनता भी है। इसी बात को लेकर हमने जहां पहले 200 रुपये देते हैं, उसको बढ़ा कर 300, 300 रुपये की जगह 450 और 500 रुपयें की जगह 600 रुपये दिए हैं। अब जो पैसा दिया जायेगा, वह बढ़े हुए हिसाब से दिया जाएगा। जो इन तीन जिलों में पैसे भेजे हैं वह बढ़े हुए रेट से भेजे है।

Mr. Speaker.. Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of New Roads

*1182. **Shri Azmat Khan**: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the kilometers of new roads constructed in Hethin Tehsil during the period from 1991 to 31-12-94 separately ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Saplki to village Ferozepur Rajput ; if so, the time by which the work is likely to be started thereon ?

लोक निर्माण मन्त्री : (चौधरी अमर सिंह)

(क) विस्तृत सूचना निम्न प्रकार से है ;—

अवधि	लम्बाई
1-4-91 से 31-3-92 तक	2.99 कि.मी.
1-4-92 से 31-3-93 तक	शून्य
1-4-93 से 31-3-94 तक	0.16 कि.मी.
1-4-94 से 31-12-94 तक	शून्य.
जोड़	3.15 कि.मी.

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Incentive for Promoting Hotel Industry

*1187. Sathi Lehri Singh : Will the Minister of State for Tourism be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governament to give incentive/subsidy to promote the Hotel Industry in Hilly Areas of the State ; if so, the details thereof ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण) :

हां। पहाड़ी क्षेत्रों सहित सारे राज्य में होटल उद्योग को विकसित करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Incident of kidnaping

256. **Dr. Ram Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any incident of kidnapping of two girls named Bimla Devi and Kusum of village Broot Mijra District Kurukshetra in the month of August 1991 has come to the notice of the Government ; and

(b) if so, the steps taken to trace out the girls as referred to in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 165 दिनांक 31-8-91 धाराधीन 302/364/201 भा0द0स0 थाना लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में दर्ज किया गया। अपितु थाना प्रबन्धक, निरीक्षक, सी0आई0ए0 कुरुक्षेत्र तथा गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा द्वारा भरसक प्रयत्न करने के बाद भी यह केस हल नहीं हो सका। अतः 2 वर्ष से भी अधिक तफतीश के बाद इस केस में दिनांक 5-1-94 को इलाका मैजिस्ट्रेट को अदमपता रिपोर्ट भेजी गई। अब इस केस को हल करने के लिए एक विशेष टीम उ0पु0अ0/अपराध, मथुरा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक/अपराध की निगरानी में गठन किया गया है।

Allotment of Mines

254. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) The names of the persons/firms who have been allotted mines during the year from 1986 to 1994 in the State ;

(b) Whether any labourers died during excavation of the above said mines ; if so, the names thereof ; and

(c) The action if any, taken against the allottee in whose mines the labourers died ?

Minister for Industries (Shri A.C. Chaudhry) :

(a) Names of the persons/firms to whom mines were allotted on mining leases during 1986 to 1994 are given in the Annexure 'A'.

(b) 45 workers died in the accidents which took place in these mines. Details are given in the Annexure 'B'

(c) Mines Safety Department of Ministry of Labour, Government of India is the competent authority to initiate action against lessees under Mines Act, 1952 and Rules and Regulations framed thereunder.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of Leasee	Village	Name of Mineral	Period of lease
1	2	3	4	5
District Faridabad				
1.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Maner	Silica/Ordinary Sand and stone.	17-7-1986 to 16-7-1996
2.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Dhauj	Silica Sand/ Ordinary sand	4-10-1986 to 3-10-1996
3.	Sh. Durga Parshad	Annangpur	China clay	6-12-1988 to 5-12-1998
4.	Sh. Som Parkash Sethi	—do—	Silica/Ord. sand & stone	3-11-1989 to 2-11-1999
5.	M/s Goodwill Mineral Corporation.	Pali	Silica/Ordinary sand	6-12-1989 to 5-12-1999
6.	Sh. Sahi Ram	Pali	—do—	29-6-1991 to 28-6-2001
7.	Sh. Om Parkash	Manger	Silica/Ord. sand & stone	29-6-1991 to 28-6-2001

[Shri A. C. Chaudhry]

1	2	3	4	5
8.	Sh. Dharamvir	Manger	Silica/Ord. sand & stone	11-8-1991 to 10-8-2001
9.	M/s Goverdhan Maharaj & Co.	—do—	—do—	—do—
10.	M/s Rajdhani Mineral Corp.	Anangpur	—do—	7-10-1991 to 6-10-2001
11.	Sh. Pardip Kumar Sethi	Mohabta-bad	Silica/Ord. sand & stone	6-5-1992 to 5-5-2002
12.	Sh. Shish Pal Singh	Pali	Silica sand	7-12-1992 to 6-12-2002
13.	Sh. K.C. Ahuja	Anangpur	Silica/Ord. sand	22-3-1993 to 21-3-2003
14.	—do—	Sarai Khawaja	—do—	—do—
15.	M/s Lucky Minerals Corparation	Pali	Silica/Ord. sand & stone	28-5-1993 to 27-5-2003
16.	Sh. Ram Chander	Mohbtabad	—do—	5-8-1993 to 4-8-2003 (Mining lease upto 4-8-93 renewed)
17.	M/s J.K. Minerals Corporation	Bhankari	—do—	21-12-1993 to 20-12-2003
18.	—do—	—do—	Silica/Ord. Sand	—do—
19.	Sh. Som Parkach Sethi	Anangpur	Silica/Ord. Sand and stone	16-1-1994 to 15-1-2004 (Mining lease upto 15-1-1994 renewed.)
20.	—do—	Pali	—do—	—do—
21.	M/s Ram Kishan Purni Devi	Badkhal	Silica/Ord. sand and stone	30-1-1994 to 29-1-2004
22.	Sh. Raman Sethi	Manger	Silica/Sand.	22-9-1994 to 21-9-2014
23.	M/s Bharat Minerals	Badkhal	Silica/Ord. sand and stone	22-9-1994 to 21-9-2014
24.	M/s Kailash Chander Ahuja and Company	Meola-Maharajpur	—do—	—do—

1	2	3	4	5
District Gurgaon				
25.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Nathupur	Silica/Ord. Sand and stone	21-4-1986 to 20-4-1996
26.	—do—	Sehsola	Silica/Ord. sand	13-9-1988 to 12-9-1998
27.	—do—	Rozka Gujjar	Silica/Ord. sand	—do—
28.	M/s Shivjeet Singh Uggar Sain.	—do—	Silica sand	30-11-1992 to 29-11-2002
29.	M/s S.A. Minerals	Gangani	Silica/Ord. sand	28-5-1993 to 27-5-2003
30.	Sh. Mani Ram	Mohamad-pur Ahir	—do—	8-6-1993 to 7-6-2003
31.	Sh. Lal Chand	Jalapur Sohna	—do—	16-6-1893 to 15-6-2003
32.	M/s Juneja and Co.	Nurpur	—do—	8-9-1993 to 7-9-2003
33.	Sh. Ravinder Kumar	Kharak Sohna	—do—	6-10-1993 to 5-10-2003
34.	Sh. Banwari Lal	Silkho	—do—	30-12-1993 to 29-12-2003
35.	Sh. Abdul Razak	Sundh	China clay Ord. sand and stone	6-9-1993 to 5-9-2003
36.	Sh. Ram Chander	Badhwari	Silica/Ord. sand stone	16-3-1994 to 15-3-2004 (Mining lease upto 15-3-1994 renewed.)
37.	M/s C.A. Associates.	Samki-Nangli	Silica/Ord. sand	25-4-1994 to 24-4-2004
38.	Sh. Shiv Kumar	Lchinga Kalan	Silica/Ord. sand	22-9-1994 to 21-9-2004
District Ambala				
39.	M/s Associated Cement Co. Ltd.	Surajpur	Lime stone	24-11-1987 to 23-11-1997 (It has been decided to renew the mining lease w.e.f. 24-11-87 but

[Shri A. C. Chaudhry]

1	2	3	4	5
				the approval/ permission of Forest Department is awaited.
District Bhiwani				
40.	M/s Cement Corp. of India Ltd.	Khatiawas	Lime kankar	12-5-1988 to 11-5-1998
District Mohindergarh				
41.	M/s Ram Singh Om Parkash	Chhapra Nain, Bibipur etc.	Lime stone Dolomite	9-4-1986 to 8-4-2006
42.	Sh. Gurdev Singh	Nangal Durgu, Musnota	Lime stone, Quartz Felspar Dolomite	16-8-1987 to 15-8-1997
43.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Behalibas	School slates and slate stone	21-5-1991 to 20-5-2001 (Mining lease upto 20-5-91 renewed.
44.	—do—	Rajgarh	—do—	8-5-1988 to 7-5-1998
45.	Sh. Jatinder Kumar	Bazar	—do—	31-1-1994 to 30-1-2004
46.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Dhanota, Dhancholi.	Iron ore.	16-5-1994 to 15-5-2004
47.	Sh. Ashok Gupta	Musnota	Calcite	16-11-1994 to 15-11-2014
District Rewari				
48.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Majra Manethi	School Slate and slate stone	12-4-1991 to 11-4-1996 (On agency basis).
49.	—do—	Manethi	—do—	6-2-1990 to 5-2-2000
District Gurgaon	Slate Stone (under Pb. M.M.C.R. 1964)			
50.	M/s Haryana Minerals Ltd.	Akbarpur	Slate stone	17-10-1990 to 16-10-1995
51.	—do—	Pingwan	—do—	—do—
52.	—do—	Mahun	—do—	22-3-1991 to 21-3-1996
53.	—do—	Chittora	—do—	11-4-1991 to 10-4-1996

1	2	3	4	5
54.	Sh. Subash Chander	Niharika	Slate stone	11-4-94 to 10-4-96
55.	Sh. Yag Dutt Sharma	Pingwan	—do—	30-6-1992 to 29-6-1997
56.	Sh. Devinder Vashishta	Bubalheri	—do—	—do—
57.	Sh. Razil Khod	Rwa	—do—	21-10-1992 to 20-10-1997
58.	Sh. Rajesh Joshi	Dungeta	—do—	28-10-1992 to 27-10-1997
59.	M/s Super Slate and Co.	Jharpuri	—do—	1-2-1993 to 31-1-1998
60.	Sh. Ishwar Singh	Dhana	—do—	11-6-1993 to 10-6-1998
61.	M/s Pantagoan Stone	Shekhpur	—do—	17-6-1993 to 16-6-1998
62.	Sh. Surinder Singh	Jhimrawat	—do—	27-6-1993 to 26-6-1998
63.	Sh. Rahul Sharma	Pingwan	—do—	15-7-1993 to 14-7-1998
64.	Sh. Ajay Goel	Chandrka	—do—	4-8-1993 to 3-8-1998
65.	Sh. Rakesh Sharma	Papra	—do—	27-9-1993 to 26-9-1998
66.	Sh. Usman Khan	Pingwan	—do—	29-1-1993 to 8-1-1998
67.	Sh. Banwari Lal	Ghatwasan	—do—	6-4-1994 to 5-4-1999
68.	M/s Vintar Silica Wares	Gujjar Nangla	—do—	16-6-1994 to 15-6-1999
69.	M/s Mewat Minerals	Kherli Kalan	—do—	12-8-1994 to 11-8-1999
70.	Sh. Usman Khan	—do—	—do—	12-11-1994 to 11-11-1999
District Gurgaon				
1.	Haryana Mineral Limited	Gangani	Road Metal and Masonary stone	8-11-89 to 7-11-94
2.	—do—	Sikander-pur Ghosi	—do—	10-11-89 to 9-11-94

[Sh. A. C. Chaudhry]

1	2	3	4	5
3.	Haryana Mineral Ltd.	Nathupur	Road Metal and Masonary stone	8-4-90 to 31-3-1995
4.	—do—	Bandhwari	—do—	—do—
5.	—do—	Gawala Pahari	—do—	—do
6.	—do—	Haiderpur Viran	—do—	—do—
7.	—do—	**Naurangpur Block** Naurangpur Bar-Gujjar, Bizar Akbarpur and Mohamad-pur Ahir	—do—	29-5-1990 to 28-5-1995
8.	—do—	**Behlpa Block** Ullawas	—do—	12-6-1990 to 11-6-1995
9.	—do—	**Sehsola Block** Sehsola, Basai, and Rozka	—do—	29-5-1990 to 28-5-1995
10.	—do—	Kadarpur and Ghamroj	—do—	8-5-1991 to 7-5-1996
11.	—do—	**Chakarpur Block** Chakarpur, Baliawas wazirabad and Ghata	—do—	25-8-1988 to 24-8-1998
District Faridabad				
1.	Haryana Mineral Ltd.	Lakarpur	Road Metal and Masonary stone	26-1-1988 to 25-1-1993
2.	—do—	Mewla Maharaj-pur	—do—	8-4-1989 to 31-3-1994
3.	—do—	Anangpur	—do—	—do—

1	2	3	4	5
4.	Haryana Mineral Ltd.	Badkhal	Road Metal and Masonary stone	8-4-1989 to 31-3-1994
5.	—do—	Mohata-bad	—do—	—do—
6.	—do—	Pali	—do—	8-4-1989 to 31-3-94
7.	—do—	Sarai Khawaja Plot No. I	—do—	8-4-1989 to 31-3-1994
8.	—do—	Khori Jamalpur and Sirohi	—do—	8-5-1991 to 31-3-1996
9.	—do—	Dhouj	—do—	8-5-1991 to 31-3-1996
10.	—do—	Ankhir	—do—	1-4-1994 to 31-3-1999
District Bhiwani				
1.	M/s Haryana Mineral Ltd. Narnaul	Dharan	Granite	20-5-91 to 19-5-96
2.	—do—	Rewasa	—do—	28-1-92 to 27-1-97
3.	—do—	Dulhari	—do—	20-5-91 to 19-5-96
4.	—do—	Nigana Kalan	—do—	19-5-91 to 18-5-96
5.	Sh. Raj Singh S/o Sh. Hawa Singh Vill. and P.O. Kheri Bura Teh. Dadri (Bhiwani)	Dadam	—do—	18-3-94 to 17 3-99
District Mohindergarh				
6.	M/s Haryana Mineral Ltd. Narnaul.	Antri Biharipur	Marble	12-4-93 to 11-4-98
7.	—do—	Bayal	Marble	21-4-91 to 20-4-96
8.	—do—	Bayal	Marble	13-5-90 to 12-5-95
9.	—do—	Dhani Bhatota	Lime stone	12-8-86 to 11-6-96
10	—do—	Golwa	Marble	23-4-91 to 22-4-96

[Sh. A. C. Chaudhry]

1	2	3	4	5
11.	Sh. Gauri Shanker S/o Sh. Raghu Nath Rai, Narnaul.	Golwa	Marble	20-4-91 to 19-4-96
12.	Sh. Gurdev Singh S/o Sh. Karam Singh Vill. Khurana (Kaithal)	Islampur	Marble	13-9-91 to 12-9-96
13.	Sh. Narain Singh S/o Sh. Bala Ram Vill. Gameti Jat (Mohindergarh)	Musnota	Lime stone	24-9-90 to 23-9-95
14.	M/s Yadav Marble Traders Shivaji Nagar, Narnaul	Dhunkhera	Marble	27-6-93 to 26-6-98
15.	Sh. Santcharan Singh Sethi Mandi Ateli Mohindergarh	Nangal Durgu	Marble	7-4-86 to 6-4-91
16.	Sh. Hawa Singh S/o Sh. Karam Singh Vill. Bayal, Distt. Mohindergarh	Nangal Durga and Musnota	Marble Lime stone	5-12-91 to 4-12-96
17.	Sh. Ram Niwas S/o Sh. Parbhu Dayal Vill. Dholera Transfered to M/s Spartam Agro Industries 25-Rajindra Place New Delhi.	Dhanj Bhatota	Lime stone	23-1-91 to 22-1-96
18.	Sh. Raj Kumar Ganda S/o Sh. Pahlwan Raj Sirsa	Nangal Durgu	Marble	16-6-93 to 15-6-98
19.	Sh. Uggarsain S/o Shri Suraj Bhan, Balsmand Road, Hisar.	Bayal	Marble	21-9-93 to 20-9-98
20.	M/s Poonam Meninga Prop. Sh. Sanjay Kumar S/o Sh. Hari Parsad, Vill. Musnota, Distt. Mohindergarh.	Nangal Durgu and Musnota	Marble and lime stone	16-11-94 to 15-11-99

Annexure—B

Sr. No.	Name of Mines	Name of the Lessee	Date of Accident	No. of persons died in accident
1	2	3	4	5
1.	Anangpur	Sh. S.P. Sethi	7-4-86	1
2.	Anangpur	Sh. S.P. Sethi	10-9-86	1
3.	Behalibas	Haryana Minerals Limited	29-10-86	1
4.	Anangpur	Mohan Ram & Co.	31-1-88	1
5.	Mangar	Haryana Minerals Limited	4-4-88	2
6.	Pali	—do—	6-5-88	2
7.	Gangani	Smt. Kamlesh Devi	9-5-88	1
8.	Lohinga Kalan	Haryana Minerals Limited	10-3-89	1
9.	Anangpur	—do—	5-4-89	1
10.	Anangpur	—do—	12-5-89	1
11.	Manager	Om Parkash	25-6-89	1
12.	Lakkarpur	Haryana Minerals Limited	10-8-89	1
13.	Anangpur	—do—	25-8-89	1
14.	Mewla Maharajpur	—do—	24-12-89	1
15.	Lakkarpur No. 2	Haryana Minerals Limited	6-2-90	1
16.	Lakkarpur No. 1	Haryana Minerals Limited	10-7-90	2
17.	Pali	Goodwill Minerals Corp.	15-10-90	2
18.	Managar	Sh. Om Parkash	12-12-90	2
19.	Anangpur Dabri	Haryana Minerals Limited	26-12-90	1
20.	Badkhal	Haryana Minerals Limited	17-3-91	1
21.	Manager	Rattan	3-5-91	1
22.	Majra Manethi	Ashok Somani	10-5-91	1

[Shri A. C. Chaudhry]

1	2	3	4	5
23.	Anangpur Cutten	Haryana Minerals Limited	6-6-91	1
24.	Mahun	Haryana Minerals Limited	8-8-91	1
25.	Anangpur Cutten	Haryana Minerals Limited	22-12-91	1
26.	Mewla Maharajpur	Haryana Minerals Limited	25-1-92	1
27.	Mohabatabad	Ram Chander Bainda	11-9-92	2
28.	Anangpur	Som Parkash Sethi	10-4-93	3
29.	Pali	Som Parkash Sethi	6-6-93	1
30.	Pali	Sahi Ram	11-7-93	4
31.	Pali	Sahi Ram	16-2-95	4

Income accrued from the allottees of Mines

255. **Shri Karan Singh Dalal**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the total income accrued in the form of Sales Tax/Revenue from the allottees of mines in District Faridabad, Gurgaon during the period from the year 1987 to December, 1994?

Excise and Taxation Minister (Shri Lachhman Dass Arora): The details of income accrued in the form of Sales Tax/Revenue from the allottees of mines in Faridabad and Gurgaon districts during the period 1987-88 to 1994-95 is as follows :—

Year	Faridabad		Gurgaon		(Rs. in lacs)
1	2		3		4
	Sales Tax	Revenue	Sales Tax	Revenue	Total
1987-88	066.40	301.93	00.61	020.17	389.11
1988-89	089.91	280.87	00.73	026.48	397.99
1989-90	140.83	356.78	07.23	038.62	543.46
1990-91	161.83	447.33	11.37	054.73	675.26
1991-92	247.17	446.45	17.01	068.55	779.18
1992-93	228.73	797.80	18.31	126.30	1171.14
1993-94	311.16	731.36	13.66	164.14	1220.32
1994-95 (Upto Dec. 94)	223.42	823.77	09.08	154.74	1211.01
	1469.45	4186.29	78.00	653.73	6387.47

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/-

हरियाणा बीज निगम द्वारा गेहूं के बीज के उत्पादन की सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No.36 from Shri Kitab Singh Malik, M.L.A. regarding fixing the maximum limit of yield per acre of production of wheat by the Haryana Seeds Development Corporation, I admit it. Shri Kitab Singh Malik may read out his notice and thereafter the Agriculture Minister may make the Statement.

श्री किताब सिंह : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा बीज विकास निगम ने अनुचित (तुगलकी) आदेश द्वारा बीज उत्पादक किसानों पर गेहूं के बीज की विभिन्न किस्मों की उपज की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। निगम ने गेहूं के बीज की एच0 डी0 2329, 283 तथा 542 किस्मों के लिए अधिकतम उपज सीमा 16 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 2285 और 2009 किस्मों के लिए 14 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की हैं। निगम द्वारा ऐसी सीमा पहले कभी निर्धारित नहीं की गई। सामान्यतः बीज उत्पादक किसान अच्छी मेहनत तथा अधिक धन खर्च करके 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं के बीज की उपज ले लेते हैं। परन्तु निगम द्वारा उक्त आदेश जारी करने के कारण किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य—

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh): The Corporation allocates seed production programme to its Seed Growers for production of various categories and varieiets of seeds of various crops. At present thereare about 1350 Shareholder Seed Growers and almost an equal number of Registered Non-Shareholder growers who undertake the seed production programme of the Corporation. The Corporation pays higher procurement prices to its seed growers ranging between 25% to 35% on different crops over and above the Support Price fixed by the Government or the prevailing market prices. The officials of the Haryana State Seed Certification Agency inspect the field and make assessment of the produce of the fields of the seed growers who undertake the seed production programme of the Corporation. On the basis of the asseasment of produce so made, the raw seed was received from the seed growers at the Seed Processing Plants of the Corporation upto 1993-94.

[Shri Harpal Singh]

It was experienced that assessment of the yield made by the officials of the Seed Certification Agency in many a cases was not realistic and it was found to be exorbitantly higher than the actual production of the certified area. It was also experienced that quite a few growers get tempted to bring more quantity of the produce than the actual production from the certified area as they get higher procurement price. It was noticed that normal production which was not meant for seed was mixed and offered as seed to the Corporation. This practice not only upset the seed production programme of the Corporation but also affects the quality of seed, which is further sold to the farmers. This aspect has been discussed in various meetings of the Field Officers and Board of Directors. In order to curb this tendency, the Corporation decided to put upper limit for accepting the raw seed of various varieties and of various crops.

The fixation of the upper limit has also been necessitated keeping in view the parameters that the seed growers have to harvest three meters border seperately in the case of wheat seed production and the produce of this area is to be kept seperately for disposal as commeracial grain and should not be delivered as seed under the prescribed Certification Standards.

The upper limit for receipt of raw seed was fixed on the basis of figures of raw seed received during the previous season *vis-a- vis* production programme given to seed growers. It is not correct that the farmers generally get a yield of more than 60 qtls. of seed per hectare. The upper limits fixed by the Corporation are quite reasonable.

The fixation of upper limit for receipt of raw seed from the growers does not in any manner affect the production of the growers. It is also incorrect to say that the growers have to sustain losses on account of fixation of the upper limit for the receipt of raw seed as they got much higher procurement prices from the Corporation as compared to the Government Support Price or the prevalant market price. For example, in case of wheat, the Corporation will pay Rs. 490/- per qtl. to the shareholder growers as against the support price of Rs. 360/- per qtl. this year.

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा अन्दाजा लगाया गया था वह ठीक नहीं था और यह भी कहा कि 24-25 क्विंटल पैदावार नहीं की जा सकती । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों का अनुमान क्या गलत नहीं है ? मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि सीड ग्रोवर ने अगर मेहनत अच्छी करके अधिक सीड की प्रोडक्शन की है । 13-14 क्विंटल तक तो उसका खर्चा ही मुश्किल से पूरा होता है । 13-14 क्विंटल से जो अधिक पैदावार है, उससे उसको लाभ होता है । फाऊंडेशन सीड अगर ज्यादा हो गया तो इसमें किसान की क्या गल ती है । गेहूं प्रमाणीकरण या सीड सर्टिफिकेशन का अनुमान

करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने गलत अनुमान लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्य-वाही करेगी ? इस प्रकार से तो केवल किसानों का ही नुकसान नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय नुकसान है। किसान के खेत में जितनी भी पैदावार हुई है उसको हरियाणा सीड डिवैल्पमैंट कारपोरेशन को लेना चाहिए।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि 1-2 आनरेबल मैम्बर्ज ने भी हाउस में यह बात उठाई है कि कई जगह सीड की क्वालिटी ठीक नहीं है हमारे नोटिस में यह बात आई कि कई जगह सीड की पैदावार ज्यादा हो रही है। पिछले साल भी पैंडी में ऐसा हुआ कि जितना टारगेट था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो गई इससे सीड में मिलावट ज्यादा होने की शंका होती है। एग्रीकल्चर में 10 हैक्टेयर के लिए एग्रीमैंट होता है और किसान ज्यादा बो लेते हैं या मिलावट की कोशिश करते हैं क्योंकि रेट में फर्क होता है। किसान को 360/- रुपये की बजाय 490/- रुपये क्विंटल सीड के मिलने हैं इसलिए उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीड सेल करके दिखाए। इसमें हमने यह एफर्टस किए हैं कि जो मार्किट में आम सीड मिलता है, उसको इसमें न मिलाया जाए जिससे किसान को नुकसान न हो। पिछली दफा किताब सिंह जी का 115 एकड़ एरिया था और ये सबसे बड़े ग्रोअर थे, इन्होंने 1193.40 क्विंटल सीड दिया था। इन की एवरेज 10.4 क्विंटल पर हैक्टेयर बीज की थी। हमने फिक्स तो 16 क्विंटल पर हैक्टेयर किया है। अध्यक्ष महोदय, जो लास्ट ईयर एवरेज थी उसको देखते हुए 14.78 थी। इसमें इनका लोस कैसे होगा। इन्होंने जो लास्ट ईयर सीड कारपोरेशन को दिया उसकी ऐवरेज तो इससे कम थी। उससे कोई नुक्सान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : इससे फार्मर्ज को क्या लाभ होगा जबकि ईल्ड ही थोड़ा है।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसमें फाउन्डेशन सीड दिया जाता है और साथ में ग्रोअर्ज को कंडीशनज बताई जाती हैं कि उसकी काश्त कैसे करनी होती है। उसमें एकड़ से कम का एरिया शामिल होता है और सीड जो तैयार करना होता है वह इसलिए तैयार नहीं किया जाता है कि मार्किट में सेल किया जाए।

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है उसका जवाब नहीं आया है इन्होंने मेरी पर्सनल बात कह दी। दूसरी तरफ यह कह दिया कि कुछ किसानों द्वारा बाजार से सीड लेकर मिलावट की सम्भावना है। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि किसानों के ऊपर पाबन्दी क्यों लगाई गई जबकि खेती के ऊपर प्राथमिकता दी जा रही है। ये एच0 डी0 2329 और 542 किस्मों के लिए अधिकतर उपज सीमा 16 क्विंटल प्रति एकड़ क्यों की हैं। इस बारे में निरीक्षण करवाएं और इस पाबन्दी को हटवाएं। जब किसान अच्छा उत्पादन करेगा तो इनको तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी यह पाबन्दी हटाएं ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया कि किताब सिंह जी ने दूसरे किस्म का सीड देने की कोशिश की या मिलावट करने की कोशिश की । यह इनके बारे में नहीं थी लेकिन कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं । जो ग्रोअर्ज हैं वे यह एफर्ट्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें । अगर बीज अच्छा होगा तो अच्छी पैदावार होगी । किताब सिंह मलिक जी ने जो 2329, 283 तथा 542 के बारे में कहा है वह भी इनकी 14 से ज्यादा नहीं आई है । अध्यक्ष महोदय, ये जो मांग कर रहे हैं वह हम 16 क्विंटल कर रहे हैं और इसमें कोई अभाव नहीं होगा ।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move the Motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Chaudhary Jagdish Nehra) : Sir I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule. 'Sittings of the Assembly', indifinetly.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule. 'Sittings of the Assembly', indefinitely.'

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings of the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly', indefinetely.'

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Irrigation Minister will move the motion under rule 16.

Irrigation Minister (Chaudhary Jagdish Nehra) : Sir I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried

सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Chaudhry Jagdish Nehra) : Sir, I beg to lay on the Table—

(1) The 2nd Annual Report of the Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1991-92 as required under Section 619 A(3) of the Companies Act, 1956.

(2) The 3rd Annual Report of the Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1992-93 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

(3) The 4th Annual Report of the Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1993-94 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना—

(i) पब्लिक अकाऊंटस कमेटी की 40वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the leave has been granted to Shrt Hari Singh Nalwa, M.L.A., Chairman of the Public Accounts Committee. He is therefore, not present in the House. Under Rule 223 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I permit Shri Brij Anand, M,L.A., a member of the Committee to present the 40th Report of the Committee on Public Accounts for the year 1994-95 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1990 (Civil and Revenue Receipts).

Shri Brij Anand (A member of the Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Fortieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1994-95, on the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1990 (Civil and Revenue Receipts)

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 38वीं तथा 39वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now, Shri Mani Ram Keharwala, Chairman, Committee on Public Undertakings will present the 38th and 39th Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1994-95 on the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1989-90 and 1990-91 (Commercial).

Shri Mani Ram Keharwala (Chairman Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present:—

(a) the 38th Report of the Commitee on Public Undertakings for the year 1994-95 on the Report of the Comptroller and

[Shri Mani Ram Kcharwala]

Auditor General of India for the year 1989-90 (Commercial) and

(b) thirty Ninth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1994-95 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1990-91 (Commercial)

(iii) सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी की 26वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Smt. Chandrawati, Chairman of the Committee on Subordinate Legislation will present the 26th Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1994-95.

Smt. Chandrawati (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present the 26th Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1994-95.

बिल्ज

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1 बिल), 1995

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill 1995 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1995.

Sir, I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

(इस समय श्री बंसी लाल बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष बंसी लाल जी, अब आप नहीं बोल सकते क्योंकि कंसीडरेशन मोशन पास हो चुकी है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अब भी बोल सकते हैं, ऐसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष ऐसा है, अगर आपने कुछ बोलना है तो क्लाज पर बोलना, अब आप बैठ जाइए ।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, जो खर्च किया जा चुका है, इस पर भी आपकी परमीशन से बोला जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगा कि आप कब बोल सकते हैं, तब तक आप बैठिए ।

Now the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stands part of the Bill

The motion was carried

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐप्रोप्रिएशन बिल नंम्बर (1) और (2) दोनों पर इकट्ठा बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, एक नयी चीज कल ही शाम को नोटिस में आई क्योंकि मार्च, 16 के एक अखबार 'दि ट्रिब्यून' में छपा है—

"MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.

If you have ever considered making hay while the sun shines but did not know how to go about it, here is one way of doing it.

Buy a brand new bus. Fit it with a VCR and obtain a permit from Rajsthan for plying it in Haryana. Never mind if the Haryana Transport authorities refuse to countersign the permit. For reasons best known to them, the ever-obliging men of the Haryana Excise Department will not recover passenger tax from you which is presently levied at the rate of 60 per cent of the fare. So you pocket the fare as well as the tax.

If this sounds incredible, all you have to do is travel by one of these buses, which ply mostly between Bhadra and Sangaria in Rajsthan to Delhi via Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar and Rohtak. There are about 50 such buses plying on this route. A majority of them are owned by close relatives of two top politicians—one of the ruling party and the other of an opposition party of Haryana.

Fifteen of these buses are covered by a stay order from the Punjab and Haryana High Court directing the state transport authorities not to impound these buses till further orders. The rest are plying illegally. The court has however, not imposed any ban on the recovery of passenger tax from these operators.

Consider the benefits. Besides pocketing the 60 per cent passenger tax, you need not follow any time-table. Ply your bus as and when you think it is most profitable. You also need not bother about covering the whole route. Just keep shutling between the most paying portion of the route, for instance Hisar and Sirsa, where there is no dearth of commuters at any time of the day. In fact this is what most of these operators are doing.

What about the profits ? This is one of the most profitable business. During a day a bus usually makes at-least three turn trips between Hisar and Sirsa. For a 52-seat bus., the collections for these trips come to Rs. 7500 a day and that too when you are not carrying even a single passenger standing in the bus."

अध्यक्ष महोदय, फिर लिखा है कि इन बसिज की साढ़े सात हजार की रोजाना की रिटर्न है और उसमें से—

"At the rate of 60 percent you will normally have to pay Rs. 4500 by way of passenger tax to the Haryana Government. You can pocket this amount since the Excise Department is not recovering it

from any of the operators. That makes it clear how these operators can afford to charge the fare of an ordinary bus even though the Passengers....'

आग अध्यक्ष महोदय, लिखा है कि डेढ़ किलोमीटर्ज तो यह राजस्थान में चलती हैं, 35 किलोमीटर्ज दिल्ली में और 250 किलोमीटर्ज ये बसिज हरियाणा में चलती हैं—

"The racket gradually began to affect the conductors and drivers of Haryana Roadways buses. As the privately owned buses were new and fitted wtih VCRs, passengers preferred to travel by these buses, This resulted in a sharp fall in the route receipts (fare and tax collections from a trip) of these conductors. Consequently, the general managers of the Haryana Roadways depots of Hisar, Fatehabad and Sirsa—the worst affected depots—began recovering the shortfall from the bus crew"

अब इन बस औप्रेटर्ज ने रिकवरी के विरुद्ध, स्पीकर साहब, हड़ताल की और आज कल हरियाणा गवर्नमैंट इन बसिज को बस स्टैंड पर नहीं जाने देते । अखबार में आगे लिखा है—

"The roadways employees have now banned the entry of these buses to stand This action alone has boosted the route receipts of the three depots at Hisar, Sirsa and Fatehabad by an average of Rs. 40,000 a day . A senior Roadways officer said the illegal buses were causing a loss of crores of rupees to Haryana Roadways as was evident from the increased flow of cash in these depots . Besides, the government was losing crores by way of passenger tax pocketed by these operators . However, he said, they were unable to impound these buses because of the political connections of their owners."

मेरा कहने का मतलब यह है कि ये करीब करीब 50 बसें ऐसी होंगी जिन में से 15 को तो पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है मगर पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको पैसंजर टैक्स के लिए स्टे आर्डर नहीं दिया मगर विभाग वाले उनसे वसूल नहीं करते । वे जहां चाहें वहां पर आपरेट करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उनमें से कुछ बसिज के नम्बर हाउस में बता देना चाहता हूं— आर०जे० 13-पी 488, 3448, 480, 490, 9985, 768, 767, 781, 782, 887, 897, 837 । आर0जे014पी0 : 400, 401, आर0जे0 31पी0 78, 79, 0021, आर0जे0 7पी0 763, एच0आर0 39-आर0 1213 और जो हिसार बस स्टैंड पर खड़ी हैं उनके नम्बर हैं :- आर0जे0 31-पी 82, 83, 84, 85 । इतने नम्बर अखबारों में आने के बाद मैं ये नोट कर पाया हूं । 50 में से जो बाकी हैं, वे भी इकट्ठे कर दूंगा, अगर ये कहें तो ।

अध्यक्ष महोदय, इसका ताल्लुक 1994-95 के एप्रोप्रिऐशन बिल से भी है और 1995-96 के बिल से भी ताल्लुक है । जिस सरकार को करोड़ों रुपये का सालाना पैसंजर टैक्स का घाटा होता है तो मेरी समझ में यह भी बात नहीं आती कि सरकार उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लेती ? सरकार इन बसों को चलने क्यों नहीं देती है ? रोडवेज की चलाएं या कांडक्टर सिगनेचर देते हों तो कानून कायदे

[चौधरी बंसी लाल]
के अनुसार कांउटर सिगनेचर दें, अगर कोई रेसीपरोकल एग्रीमैन्ट है । अगर नहीं है तो कांउटर सिगनेचर क्यों दें ? आप हरियाणा रोडवेज की बसें चलाएं । इतना 11-00 बजे । भारी जो हमें नुकसान लगातार हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैंने टोटल लोन के बारे में पूछा था । गुप्ता जी ने दो तीन साल का बता दिया । मैंने यह कहा था कि कितना लोन पीछे लिया और 1991 से आज तक कितना ले चुके हैं । आप कितने एग्रीमैंट साइन करने जा रहे हैं और उसका टोटल ब्याज कितना है । आपने वर्ल्डबैंक से, सैंट्रल गवर्नमैंट और पब्लिक से कितना-कितना लोन लिया, वह सबका सब बताएं ताकि हमें यह पता लगे कि स्टेट में क्या हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बड़े ड्रामैटिक ढंग से बात को टालने की कोशिश की लेकिन ऐसी बातें टलती नहीं । मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मेरे पास आज आंकड़े नहीं कि टोटल भरती कितनी हुई और उसमें शिड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोग कितने हैं, आज तो सदन आज की कार्यवाही के बाद साइने डाई एडजर्न हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि अगले दस दिन में या 15 दिन में ये पब्लिक को यह बता दें, प्रैस में एडवरटाइजमैंट देकर बता दें कि फलां-फलां पोस्ट कांस्टेबल से ऊपर तक और चपरासी से ऊपर तक की, टोटल रिक्रूटमैंट इतनी हुई हैं, उसमें इतने हरिजन भरती किए गए और इतने बैकवर्ड भरती किए गए । अगर यह सूचना ये आज सदन में नहीं दे सकते तो 15 दिन में दे दें । सरकार के पास बहुत साधन होते हैं । इसके अलावा, और बातों का जवाब, जैसे बिजली का कह दिया कि नाम मात्र की आती है । मैं कहता हूं कि भाखड़ा, डैहर और पौंग से मेरे ख्याल में सात आठ सौ मैगावाट से ज्यादा बिजली आती है । अगर मैं गलत कहता हूं तो आप कैक्ट कर दें । आज न कर सकें तो बाद में प्रैस नोट के जरिए कर देना । जहां तक लाइन लौसिज की बात है, यह मैनुप्लेट करके कम बताए जाते हैं । मैंने एक सवाल पूछा था कि इलैक्ट्रोनिक मीटर्ज किस किस्म के होंगे लेकिन उसका जवाब नहीं दिया ये बताएंगे भी कहां से क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं । तो अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज काफी बिजनैस है इसलिए मैं ज्यादा न कह कर इन बातों के बारे में जानना चाहता हूं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जिन बसों का जिक्र किया, यह बात सही है और इनकी बात में वजन है । इन्होंने जो एक बात कह दी कि टौप पौलिटिशियन के इशारे पर । तो मुझे टौप का तो पता नहीं कि इस प्रदेश में कौन है । यहां तो सारे ही टौप के बने फिरते हैं, कोई कम नहीं है । ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि मैं टौप का हूं, चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं । इसी तरह से राम बिलास जी और धीर पाल जी कहते हैं

कि उनसे ऊपर कोई नहीं । (विघ्न) और हम भी अपने आप को टौप से कम नहीं समझते । तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि आपने किसके बारे में कहा ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा । जो 16 तारीख के ट्रिब्यून में छपा है, मैंने वह पढ़ा है । मैंने किसी का नाम नहीं लिया । अगर जवाब टालना चाहें तो टाल दें इनकी मर्जी है, इनकी ब्रूट मैजोरिटी है ।

चौधरी भजन लाल : टालने का सवाल नहीं है । एक बात बंसी लाल जी आपने कही कि राजस्थान की बसें चलती हैं । आपने बहुत सी बसों के नम्बर भी दिए हैं । मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैंने सहकमें को 10 बार यह कहा हुआ है कि एक भी बस गलत नहीं चलनी चाहिए जितने किलोमीटर उनकी बसें चलें, उतने ही किलोमीटर हमारी बसें चलनी चाहिएं । इस बारे में दोनों स्टेट्स का एग्रीमैंट होता है । कुछ लोगों ने राजस्थान से रूट परमिट ले रखे हैं, उन्होंने अपनी बसें यहां चलानी शुरू कर दी । अगर मैं उनका नाम लूंगा तो झमेला खड़ा हो जाएगा । जिन्होंने राजस्थान से रूट परमिट ले रखे हैं उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और प्रदेश के लोग भी जानते हैं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी गलत फैहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं । ये उनका नाम बता दें, हमें कोई एतराज नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : मैं उनका नाम लूंगा तो मेरे सामने बैठने वाले महानुभावों को तकलीफ हो जाएगी । मुझे तो उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है । जिन बसों को हमने चलने से रोका, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, इसलिए हमें उनको चलने से रोकने में दिक्कत है । आप विभाग के अधिकारियों से पूछ लें, सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से या मन्त्री जी से पूछ लें, मैंने उनसे यह कहा है कि आप हाई कोर्ट से जल्दी से जल्दी स्टे वेकेट करवाएं और उन सभी बसों को सील कर दें, वे बिल्कुल नहीं चलनी चाहिएं । लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है इसलिए हम उनको चलने से नहीं रोक सकते । जहां तक उनसे टैक्स लेने की बात है, अगर उन्होंने उस बारे में हाई कोर्ट से स्टे नहीं ले रखा होगा तो हम उनसे टैक्स हर हालत में वसूल करेंगे । इस मामले में मुझे पता नहीं है, उनसे टैक्स वसूल करते हैं या नहीं करते हैं । हम बिना हाईकोर्ट के स्टे के सिंगल बस भी नहीं चलने देंगे । यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं । भजन लाल का तो कोई रिश्तेदार है नहीं जो बस चलाता हो । चौधरी बंसी लाल जी ने बसों के नम्बर बताए हैं, यह अच्छी बात है, मैंने वह नोट किए हैं । एक बात इन्होंने यह कही कि आपने अपने समय में कितने लोग भर्ती किए हैं और जितने भर्ती किए हैं, उनमें हरिजन कितने हैं और बैकवर्ड क्लासिज के कितने हैं । यह हम 15 दिन के अन्दर बाकायदा प्रैस को बता देंगे कि पिछले चार साल में इतनी भर्ती की गई और उसमें चपरासी से लेकर ऊपर

[चौधरी भजन लाल]
तक इतने बैकवर्ड और इतने हरिजन लिए गए और एक सिपाही से लेकर ऊपर तक इतने बैकवर्ड और इतने हरिजन लिए गए ।

श्री धीरपाल सिंह : आप यह भी बता दें कि परिवहन विभाग ने डेली वेजिज पर कितने लगा रखे हैं ।

चौधरी भजन लाल : डेली वेजिज पर अगर आज लगाते हैं तो उसको कल हटा देते हैं ।

श्री धीरपाल सिंह : मैं कह रहा हूं कि परिवहन विभाग में डेली वेजिज पर कितने कंडक्टर लगे हुए हैं, जब से आपकी सरकार बनी है, तब से उस विभाग में कंडक्टर डेली वेजिज पर लगे हुए हैं ।

चौधरी भजन लाल : डेली वेजिज तो हटते रहते हैं और लगते रहते हैं । जैसे आप कोई मजदूर से दिहाड़ी पर अपने खेत में काम करवाते हैं, उसी तरह से डेली वेजिज दिहाड़ीदार होता है । डेलीवेजिज का काउन्ट वैरी करता है वह स्थिर नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : मैं कहता हूं कि 'स्टिल' है और आपकी सरकार आने के बाद 1991 से कंटीन्यू कर रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल : डेली वेजिज तो हटते रहते हैं और लगते रहते हैं । आप एडहाक की बात तो कह सकते हैं, डेली वेजिज की नहीं ।

श्री धीरपाल सिंह : मैं डेली वेजिज की बात कह रहा हूं । वे 1991 से लेकर आज तक कंटीन्यू कर रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल : ऐसा नहीं है ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी की नालेज में एक बात लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि 240 दिन पूरे होने के बाद किसी को सर्विस से नहीं हटाया जा सकता । ये इस तरह से बैक डोर ऐन्ट्री करा रहे हैं, चाहे एजूकेशन बोर्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट हो कोई भी महकमा हो । मुख्य मन्त्री जी यह बताएं कि क्या वे 240 दिन पूरे करने के बाद डेली वेजिज पर चलते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछें कि उनको रैगुलर किया जाएगा या नहीं ?

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं एडहाक की बात नहीं कर रहा । मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके

240 दिन पूरे हो गए या ज्यादा समय हो गए, उनको आप कब तक परमानैंट कर देंगे ? बाकी पोस्टों को कब तक एडवर्टाइज करा देंगे ताकि यह बैक डोर एन्ट्री रुक जाए ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में जो ड्राईवर और कन्डेक्टर डेली वेजिज पर लगे हुए हैं, उनसे 12-13-14 घंटे तक काम लिया जाता है। इस काम के बदले न उनको ओवर टाईम दिया जाता है और न ही दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं ? महकमा नये कर्मचारियों पर ही सारा बोझ डाले रहता है जो मानवता के खिलाफ है । मुख्य मंत्री जी बताएं कि क्या इन कर्मचारियों को ओवर टाईम और दूसरी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी ?

चौधरी भजन लाल: धीरपाल जी इसके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं । जो कर्मचारी 5 साल से ज्यादा लगे हुए थे, उनको रैगूलर कर दिया गया है, चाहे वे किसी बोर्ड में हों, कार्पोरेशन में हों या सरकारी विभाग में हों । जो डेली वेजिज वाले होते हैं, उनको काम के हिसाब से 240 दिन का गैप दे दे कर फिर लगा लेते हैं । जब काम समाप्त हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है । यदि ऐसे हरेक को रैगूलर करने लगें तो स्टेट पर खर्च बहुत बढ़ जायेगा ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार में लगभग 5-6 हजार क्लर्क लगे हुए है और इनको लगे हुए छः साल हो चुके हैं। मेरी जानकारी ऐसी है कि सरकार उनको हटाने जा रही है। प्यारा सिंह के केस में कोर्ट का फैसला आया है कि जिन कर्मचारियों को सेवा करते हुए 240 दिन का समय हो जायें, उसको हटाया नहीं जा सकता । क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को, जिनके बारे में कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्हें लगे हुए छः साल हो गए हैं, नौकरी पर बनाए रखेंगी या हटायेंगी ?

चौधरी भजन लाल : जिनको सर्विस लगे हुए 5 साल हो गए हैं, उनको हटाया नहीं जायेगा ।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारी कोर्ट से हार गए है, क्या उनको नौकरी पर रखेंगे या हटाएंगे ?

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट से हार जरूर गए हैं लेकिन साथ ही उनको नौकरी में बनाए रखना या न रखना यह फैसला सरकार पर छोड़ा है।

चौधरी भजन लाल : उनकी भरती ठीक नहीं हुई, इसीलिए तो फैसला उनके खिलाफ दिया है । फिर भी हम जब दुबारा इन्टरव्यू लें तो उसमें वे हाजिर हों । हां, उनके बारे एज में, इन्टरव्यू पर हाजिर होने पर रिलैक्सेशन दे सकते है।

[चौधरी भजन लाल]

अध्यक्ष महोदय, एक बात बंसी लाल जी ने कह दी कि मैंने अपने समय में गंगा नहर बनाने की योजना बनाई थी क्या यह ताजमहल भी इनके वक्त में बना था ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बाकायदा यह रिकार्ड पर है और प्लानिंग कमीशन तक यह प्रोजैक्ट भेजा गया था । इस नहर का एक पूरा प्रोजैक्ट बनाकर दिया गया था, जिसमें 12650 क्यूसिक्स पानी हरिद्वार से करनाल तक लाया जाना था ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1972 में इन्होंने एक बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में चलते-चलते जिक्र कर दिया था कि गंगा का पानी चाहिए।

चौधरी बंसी लाल : चलते चलते नहीं कहा, बाकायदा एक पूरा प्रोजैक्ट बनाकर दिया था ।

चौधरी भजन लाल : इनके प्रोजैक्ट पर जब मामला सी0 डब्लयू0 सी0 के पास गया तो उन्होंने कहा कि यह नहर ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगी, क्योंकि यह सिर्फ बाढ़ के दिनों में केवल 20 दिन चलेगी । इसीलिए इसके बनाये जाने की इजाजत नहीं दी, यह रिकार्ड की बात है । अध्यक्ष महोदय, दूसरे इन्होंने कहा कि आगरा का पानी गंगा से क्रास करके खूबड़ू तक, 427 किलो मीटर नहर बनाएंगे । लेकिन इस बारे में वे क्या कहते हैं कि पानी को 25 फुट लिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए यह वायबल नहीं है और इसको नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, ये श्रीमान् रोज इस बात की दुहाई देते हैं तथा करनाल और अम्बाला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनके वोट हासिल कर सकें । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको यह रिकार्ड से बताया है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बिजली पानी से कितनी बनती है, उसका रेट क्या है, इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो बिजली पानी से बनती है और जब प्रोडक्शन पीक पर होती है, तो उसमें से जो हमें हिस्सा मिलता है, वह इस प्रकार है । अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा से हमें 60-65 लाख यूनिट जो बिजली मिलती है, वह हमें 85 पैसे पर यूनिट मिलती है । यमूना हाईडल से 5 लाख यूनिट बिजली हमें 88 पैसे पर यूनिट पर, बैरासूल प्रोजैक्ट से 10 लाख यूनिट बिजली 1.70 रुपये पर यूनिट, चमेरा हाईडल प्रोजैक्ट से 50 लाख यूनिट बिजली 2.38 रुपये पर-यूनिट; तथा एक लाख यूनिट बिजली हमें कनकपुर प्रोजैक्ट से मिलती है जो 1 रुपये 90 पैसे पर-यूनिट के भाव पर मिलती है इसमें 70 पैसे पर यूनिट लाईन का खर्च भी शामिल है । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : लाईन का खर्च 70 पैसे क्यों पड़ता है ? अगर मिस मैनेजमैंट न हो तो 70 पैसे लाईन का खर्चा नहीं पड़ सकता है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि इस पानी को 25 फुट उठाना पड़ेगा, हमने

जे0 एल0 एन0 कैनाल का पानी 500 फुट ऊपर उठा दिया, फिर 25 फुट पानी को ऊपर उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पानी की कोई कीमत नहीं होती आज उस पानी को मध्य प्रदेश मांग रहा है, राजस्थान मांग रहा है। हमारे प्रोजैक्ट को देख कर वे पानी की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी की तो बात ही क्या है, दिल्ली वाले एक बार धमकी दें, ये फट साईन कर देते है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1975 की एमरजैंसी का शेर जब सैंटर में चला गया था, उस वक्त इस नहर को क्यों न बनवा लिया ? उसके बाद दोबारा फिर सैंटर में रहे, तब क्यों न बनवा लिया फिर जब ये मुख्य मन्त्री बने तब क्यों न इस नहर को बनवा लिया ? उस वक्त इनको कौन रोकता था ? बंसी लाल जी, यूं ही चीप पापुलैरिटी लेने के लिए लोगों को गुमराह मत करें (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, नहर का पानी तो तब आएगा जब इसको बनवाने की कोशिश करेंगे । ये तो दिल्ली वालों के रहमों करम पर हैं। दिल्ली वाले एक धमकी दें कि दस्तखत कर दो वरना छुट्टी कर देंगे, ये फट दस्तखत ठोक देते हैं।

चौधरी भजन लाल : यह काम तो चौधरी बंसी लाल ही कर सकते थे, हमने तो छोड़ रखा है (विघ्न) ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी कई बार यह बात कह चुके हैं कि मैंने चण्डीगढ़ पंजाब को दे देने की बात पर इस्तीफा दे दिया था। चौधरी भजन जी को तो यह भी पता नहीं था कि इनकी छुट्टी होने वाली थी । फोतेदार के कमरे में इस्तीफा लिखवा कर धर दिया गया था। जिस वक्त इनके इस्तीफे का फैसला हुआ, राजीव गांधी, मैं, फोतेदार, अर्जुन सिंह तथा अरुण सिंह पांच आदमी बैठे थे। श्री राजीव गांधी ने फोतेदार जी से कहा कि इस्तीफे के बारे में हम में से तो कोई चौधरी भजन लाल को बताएगा नहीं, अगर भजन लाल को पता लग गया तो वह ड्रामा रचेगा । यह आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर उसको पता लग गया । इसके बाद श्री राजीव गांधी ने कहा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग कह कर उनको बुला लेंगे और उसके बाद उनकी छुट्टी कर देंगे । उस वक्त श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रैजिडैंट भी थे । 9.00 बजे उनको हरियाणा भवन बुलवा लेंगे और 9.15 बजे इस्तीफे पर दस्तखत करवा कर छुट्टी कर देंगे । अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान् जी के सम्मुख इस्तीफा रख कर इनसे दस्तखत करवा लिये गये । ये वैसे ही खुश हो रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप गीता मंगवा कर उस पर हाथ रखवा लें । अगर उनकी बात सच्ची है तो ये गीता पर हाथ रख कर कहें। (विघ्न) अभी सुलतान सिंह जिन्दा है। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, गीता पर हाथ रखना, ओन ओथ कहना कसम खा कर कहना, ये बातें वही आदमी कहता है जो हमेशा असत्य कहता है। सच बोलने वाले कभी कसम नहीं खाते। जितने आदमी हम वहां पर बैठे थे, उनमें से श्री राजीव गांधी जी का स्वर्गवास हो गया है, बाकी सारे जिन्दा हैं, सब से पूछ लें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अपनी बात तो ये बीच-बीच में खड़े ही कर कह देते हैं। सारे मुल्क में युधिष्ठिर तो सिर्फ बंसी लाल ही हैं, और कोई तो सच बोलने वाला ही नहीं है क्यों कि सच्चाई का ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है।

अध्यक्ष महोदय, सुलतान सिंह जी जिन्दा हैं, आप उनको सदन में बुलाकर पूछ लें, वे पी0सी0सी0 के प्रधान थे। राजीव गांधी जी ने मुझे भी और सुलतान सिंह जी को बुलाया था और कहा था कि भजन लाल जी चण्डीगढ़ तो पंजाब को देना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि राजीव जी, अगर आप चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फैसला करना चाहते हैं, तो भजन लाल यह काम नहीं कर सकता, इसलिए आप यह, प्रदेश अब किसी और के हवाले कर दो और मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय मैं आपको ओन ओथ, धर्म और ईमान से कहता हूं और आप चाहें तो मैं गीता पर हाथ रख कर कह सकता हूं। अब ये इस तरह की बातों को ड्रामा कहते है। अध्यक्ष महोदय, जब ये श्रीमान जी आए तो इन्होंने 77 हजार एकड़ पर दस्तखत करके दे दिए। पता नहीं ये क्या-क्या बोलते रहते हैं। इन्होंने तो सारे हरियाणा का सत्यानाश करके रख दिया है। (विघ्न) ये तो लालडू और डेराबस्सी के लिए मानने को तैयार थे।

चौधरी बंसी लाल: आन-ए-प्वायंट आफ पर्सनल एक्सपलनेशन। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री तो गोए वंश के चेले हैं और उस बात का तो कोई इलाज ही नहीं हैं। ये एक असत्य बात को 100-100 बार कह-कर सत्य करना चाहते हैं लेकिन वह होता नहीं है। ये सुलतान सिंह की बात कर रहे हैं और मैंने श्री अर्जुन सिंह, श्री फोतेदार और श्री अरुण सिंह जी का नाम लिया है। ये उस वक्त लैजिस्लेटिव कांग्रेस के मैम्बर थे, आप उनसे पूछ लें। इनको पहले ए0आई0सी0सी0 ने बुलाया कि कांग्रेस अध्यक्ष इनको सम्बोधित करेंगे लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने किसी को सम्बोधित नहीं किया। इन्होंने वहां से आकर कह दिया कि हरियाणा भवन में मीटिंग होगी, वहां चलो। जो ये इस्तीफे वाली बात कहते हैं तो यह मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, कंडूखेड़ा का रैफरन्डम किस ने माना, उस बारे में भी ये बता दें। मैं तो इन्दिरा जी से एक किलोमीटर का कोरीडोर लाया था। उसको री-ओपन करने की क्या जरूरत थी? इन्हें फटाक से किसी ने धमका दिया तो फट दस्तखत कर दिए। अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में हमारे पास रिकार्ड है। एस0वाई0एल0 का जो समझौता हुआ था, उस बारे में कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ था, उसमें मैं भी था और प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी भी थीं। उसमें सात मिलियन

एकड़ के पानी का फैसला होना था । वह फैसला यह हुआ था कि साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट पंजाब को और साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट हरियाणा को मिलेगा । उसके बाद हरियाणा को ओपन छोड़ दिया था और पंजाब के फैसले में इन्दिरा जी ने लिखा "नौट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन" । अध्यक्ष महोदय, पंजाब की तो 3.5 पर सीलिंग कर दी और हमारा खुला छोड़ दिया । इन्दिरा जी को मैंने कैबिनेट मीटिंग में कहा बहन जी पंजाब के पास 19 मिलीयन फीट एकड़ पानी है । उन्होंने कहा कि जितना फालतू पानी, है, वह हरियाणा ले लेगा । इसीलिए फैसले में यह लिखा गया Haryana will get 3.5 and Punjab will get not exceeding 3.5 maf." जब इनके ऊपर डांट पड़ी तो आज ये 1981 में फैसला करके आ गए कि पंजाब को 4 प्वायंट कुछ और हरियाणा को 3.5 ही रहेगा अब यह नुकसान किस ने किया, आप इनसे ही पूछ लें । अध्यक्ष महोदय, जब इराडी ट्रिब्यूनल बना था तो मैं इराडी से भी मिला था ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहिए कि मेरी बात भी सुनने की कृपा करें । आज इन को क्या मुश्किल हो गई है । इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि इन्होंने 77 हजार एकड़ का रकबा मांगा कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष : वह जो माना है, क्या वह इन-लू-आफ अबोहर-फाजिल्का माना है ।

चौधरी भजन लाल : जी हां । इन्होंने कह दिया कि मैं अबोहर-फाजिल्का के बदले 77 हजार एकड़ रकबा लेने के लिए तैयार हूं । यह फाईल पर है, रिकार्ड की बात है । मुझे यह बात कहनी पड़ती है क्योंकि हरियाणा के लिए बहुत ही नुकसान की बात है । इन्होंने तो हरियाणा का सत्यानाश करके रख दिया । (विघ्न) फिर इस्तीफा के बारे में कह दिया । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस्तीफा श्री राजीव गांधी से बात करके कि यह फैसला 70 हजार एकड़ का मैं नहीं मान सकता चण्डीगढ़ के बारे में गवर्नर साहब को दिया था वह भी इसलिए दिया था क्योंकि राजीव गांधी जी ने कहा था कि भजन लाल जी, यह फैसला तो अब करना ही पड़ेगा । मैंने कहा कि आप कर दो, यह मेरे बस की - बात नहीं है । मैंने मुक्के मार-मार कर मेज तोड़ रखे हैं कि हरियाणा के हितों के खिलाफ मैं एक इंच भी कोई ऐसी बात नहीं मानूंगा जिसमें हरियाणा का नुकसान हो जाए । अध्यक्ष महोदय, जब इन श्रीमान जी को बुलाया गया तो उन्होंने कह दिया कि आपका जो भी आदेश होगा, मैं मानूंगा, मुझे तो मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बिठाओ । मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही पहली ही कैबिनिट मीटिंग इन्होंने बुलायी । अध्यक्ष महोदय, यह तो हरियाणा के रिकार्ड की बात है । इन्होंने आते ही फैसला किया कि 70 हजार एकड़ जमीन के बदले में हम अबोहर फाजिल्का देने को तैयार हैं । आप गांवों को आइडेन्टीफाई कर लो कि 70 हजार एकड़ जमीन में कितने गांव बनते हैं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनको क्या बताऊं । अगर मैं ज्यादा कहता हूं तो हरियाणा का सत्यानाश हो जाएगा । इसके

[चौधरी भजन लाल]

अलावा, और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। ये क्या लड़ने वाले है ? * * इनको तो यह भी पता नहीं हैं कि इनकी क्या हैसियत है ? ये कहते हैं कि डर कर कर दिया । अरे क्या भजन लाल डर कर करेगा क्या भजन लाल कोई डरने वाला आदमी है ? ये तो डरकर दिल्ली तक तीन दफा गाड़ी बदलते थे कि भजन लाल मुझे मारेगा, मारेगा। इनको तो स्वप्न में भी भजनलाल ही दिखता है । अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है । सर, कैबिनेट का जो डिसीजन होता है, वह तो रिकार्ड पर होता है, इसलिए मुख्य मंत्री जी उसको एक घंटे में यहां मंगाकर पढ़ दें ताकि यह स्पष्ट हो कि मैंने किस दिन हरियाणा का क्लेम अबोहर फाजिल्का के 107 गांवों पर छोड़ दिया था ? आप उसको यहां पर मंगवाकर पढ़ दें । कैबिनेट का फैसला तो आपके पास ही है । एक घंटे में आप उसको मंगाकर पढ़ सकते हो ।

चौधरी भजन लाल : मैं उस फैसले को अभी आप को दिखा दूंगा । अगर वह सही हुआ तो फिर आप क्या करोगे, क्या आप फिर इस्तीफा दोगे ?

चौधरी बंसी लाल : पहले आप उसको मंगाओ तो सही । मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अबोहर फाजिल्का पर अपना कभी क्लेम छोड़ा हो । आप उसको ला कर दिखाओ तो सही ।

चौधरी भजन लाल : हम अभी आपको एक घंटे में वह दिखा देंगे लेकिन अगर वह सही हुआ तो फिर आप क्या करोगे ?

चौधरी बंसी लाल : मैं उसको देख लूंगा और उसी वक्त बता दूंगा । मैंने कभी भी क्लेम नहीं छोड़ा । (विघ्न) मैंने हमेशा अबोहर फाजिल्का पर क्लेम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने 107 गांवों का क्लेम एक दिन भी नहीं छोड़ा। भजन लाल के वक्त में जो कमीशन बना था, उस कमीशन ने यह लिखा था कि अगर हरियाणा को साथ ही अपनी कैपीटल बनानी हो तो 70, 72 या 75 हजार एकड़ जमीन देनी होगी। इस बारे में आपको हमको ओफिशियली कम्यूनिकेट भी हुआ है या नहीं हुआ है, मुझको याद नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : हम अभी आप को एक घंटे में बता देंगे , फिर आपका दीन ईमान जाने कि आप ने क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन वह चिट्ठी हम आपको दिखा देंगे, फिर तो आप मानोगे या नहीं मानोगे कि आपने हरियाणा के हित बेच दिए ।

---

* Expunged as orderd by the chair.

चौधरी बंसी लाल : हां, जो होगा मैं वह कर लूंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये श्रीमान जी कहते हैं कि इनसे लोग डरते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि ये तो ऐसे भले आदमी हैं कि डरे डरे नहीं भाग लें।

चौधरी भजन लाल : अगर चिट्ठी होगी, फिर तो आप मानोगे कि मैंने हरियाणा के हितों को बेच दिया है।

चौधरी बंसी लाल : आप उस को मंगवा लो, एक घंटा भी नहीं लगेगा। मैं उसको देख लूंगा, और क्या करूंगा। मुझे आप एक बार कैबिनेट की प्रोसिडिंग तो पढ़ा दें।

चौधरी भजन लाल : मैं आप को पूरी चिट्ठी पढ़ा दूंगा।

चौधरी बंसी लाल : मैं चिठ्ठी नहीं पढ़ना चाहता बल्कि मैं तो कैबिनेट की प्रोसिडिंग पढ़ना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो तो वह चिट्ठी भी ले आओ।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके या तो आप इसी सैशन में या फिर जब आप अगला सैशन बुलाओ, तब आप बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी से यह फैसला करा लें कि दो दिन कोई और ऐडीशनल बिजनैस नहीं होना चाहिए बल्कि उन दो दिनों में से एक दिन तो चौधरी बंसी लाल जी को दे दें ताकि वह अपनी पूरी भड़ास निकाल लें। उस दिन हाउस में कोई और नहीं बोलेगा, केवल बंसी लाल जी ही अपनी बात कहेंगे और उसका जवाब देने के लिए दूसरा दिन पूरा मुख्यमंत्री जी को दे दें क्योंकि सारे हाउस में बंसी लाल जी सवाल पर जवाब, जवाब पर सवाल ही करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी बात पर ठहरते नहीं हैं। किसी बात को पसन्द करते नहीं हैं। यह तो इसी तरह से एक आम बात की तरह हो गयी कि एक नौकर ने मालिक से कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो वरना, इस पर मालिक ने कहा, 'वरना' तो वह बोला 'वरना' क्या, मैं उसी तनख्वाह पर नौकरी कर लूंगा। तो ये भी ऐसे ही सवाल रखते हैं। जब मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि फिर क्या करोगे तो ये कहते हैं कि फिर मैं यहीं बैठ जाऊंगा। फिर किस धर्म से ये यहां बैठे रहेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : जो मेरी मर्जी आएगी, मैं वही करूंगा (शोर)।

चौधरी भजन लाल : आप रिकार्ड को आने दें, फिर बताना कि क्या करोगे ? (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल नं0 (एक) और दो पर बोलना चाहता हूं।

आवास राज्य मंत्री (श्री बचन सिंह आर्य) : शर्मा जी मेरी एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए कृपया मुझे एक मिनट बोल लेने दें। मुझे बहुत मजबूर होकर ही बोलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी सदन के एक बहुत ही माननीय सदस्य हैं। जब मुख्य मंत्री जी और इनकी आपस में बातचीत चल रही थी तो इन्होंने अपने शब्दों में यह कहा जो आपके रिकार्ड में भी है कि गीता की बात सिर्फ ड्रामे की बात है और यह पाखंड है गलत है। इससे सारे देश के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। चौधरी बंसी लाल जी को इस सदन के माध्यम से हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गीता जैसे ग्रन्थ को झूठा बताएं, पाखंड बताएं। चौधरी बंसी लाल जी को माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, आज सदन का आखिरी दिन है। मैं तो भूत और भविष्य दोनों की बात करूंगा। अभी तो भूत काल की बात चल रही थी। भूतकाल में आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी और भजन लाल इकट्ठे थे। यह मैंने कल भी कहा था कि हमारे 3 लाल हरियाणा में है। 1966 से आज तक हरियाणा लालों के इर्दगिर्द घूमता रहा। यह लाल हमारे बुजुर्ग हैं और इनकी अपनी-अपनी अलग-अलग खूबियां हैं। कल भी मैंने कहा था One is a good fighter, One is a good administrator and One is a good manager. उसके बाद भी तीनों, एक चौधरी देवी लाल बेचारे कांग्रेस के बाहर कुछ समय मिले थे एस0 वाई0 एल0 बना नहीं सके, कांग्रेस में यह अपनी चला नहीं सके। और अब ये एस0 वाई0 एल0 का मुद्दा डिमांड न0 15 जो इस एप्रोप्रिएशन बिल में है, सिंचाई से संबंधित है। आज सदन का आखिरी दिन है और ऐसा लगता है कि इस बार जो होली की झल है, उनसे यह संकेत दिखाई दिया कि इस सरकार का शायद यह आखिरी बजट अधिवेशन है। मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूं। भगवान करे इनकी लम्बी उमर हो, हम को ऐतराज नहीं है। होली की झल पर दिखाई दिया। हम गांव के आदमी होली को बड़ा भारी त्यौहार मानते हैं उसकी झल जिस दिशा में जाती है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि देश के इस हिस्से में संवत होगा। होली की झल का संकेत था कि यह अफरातफरी, यह कामचलाऊ, ढंगटपाऊ और वादा-खिलाफ राजनीतिक सिलसिला है यह कहीं समुद्र में फैंक रहे हैं। अब तो लोग रामराज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लालों की जो बात है और वे लाल जो राम के चरणों में आएंगे वे लोग फिर से पराक्रम दिखाने की स्थिति में होंगे। यह जो एस0 वाई0 एल0 की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर सर, एल0 के0 आडवाणी भी तो लाल कृष्ण आडवाणी हैं (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, लाल कृष्ण आडवाणी राम भक्त लाल हैं, उनके नाम के आगे लाल आता है। हमारे जो लाल हैं, वे चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों या मदन लाल हो, सारे राम भक्त लाल हैं और मैंने अब भी हरियाणा के लालों के बारे कहा कि वे राम भक्त लाल होंगे तो उनका भाग्य फिर उदय हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, टू दि प्वाइंट बोलिए।

राज्य इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्री (श्री राम दास सुखीना) : स्पीकर साहब, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जब भी राम बिलास शर्मा जी बोलते हैं तो भगवान राम का ही नाम लेते हैं। पहले तो उनको चाहिए कि वे रामायण को पढ़ें। उसमें भगवान राम ने जो उपदेश दिये हैं, जो कुछ हमें समझाया है, उस पर पहले समझ करें। राम नाम तो वे सदा ही लेते हैं लेकिन राम के बताए हुए आदर्शों के हमेशा वे खिलाफ चलते हैं इसलिए आप उन्हें समझाएं कि वे जरा ध्यान से बोला करें।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप टू दा प्वांयट बोलें (शोर)।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं बिल्कुल टू दा प्वांयट बोल रहा हूं। मैं डिमांड नम्बर 15 पर बोल रहा हूं। आज एप्रोप्रिऐशन बिल पर चर्चा चल रही है और एस० वाई० एल० के ऊपर, सिंचाई से सम्बन्धित जो बात है, उस बारे में हमने मुख्य मन्त्री महोदय को बार बार बोलने का अवसर दिया है कि आप एस० वाई० एल० के बारे में लोगों को अवगत करवाएं। ये लोगों की समझ में न आने वाली बात है। इस सरकार ने जो इस मामले में प्रोग्रेस की है, एस० वाई० एल० को बनाने में जो इस सरकार ने प्रयत्न किए हैं उस बारे में आप लोगों को पूरी तरह से अवगत करवाएं लेकिन सब व्यर्थ। इस की बजाए उन्होंने यह कहा कि आज जो आपस में बातें हुई हैं उनसे आने वाली बातों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एस० वाई० एल० के बनने में ऐसी बातों से फर्क पड़ सकता है। स्पीकर साहब, इस ऐप्रोप्रिऐशन बिल पर मैं कैटेगरीकली बोल रहा हूं और आज के बाद यह हो सकता है कि बजट सैशन में एस० वाई० एल० के ऊपर सरकार यह बतलाने में असमर्थ रहे कि उसने एस० वाई० एल० को बनाने में क्या क्या प्रयत्न किए हैं। अगर सरकार चाहती तो बता सकती थी परन्तु उनकी नीयत ठीक नहीं है। एस० वाई० एल० हरियाणा की जीवन रेखा है। अगर ये सरकार इस बात को समझती कि यह हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है, हरियाणा के उत्पादन के लिए पीने के पानी के लिए यह एक महत्वपूर्ण समझौता है तो अवश्य ही अपनी सफाई में यहां हाउस को अवगत करवाती लेकिन सरकार ने ऐसा उचित समझा ही नहीं और सरकार जल्दी भागने की कोशिश कर रही है। सरकार असली पोजीशन बताना ही नहीं चाहती। यह एक ऐसा मसला है जोकि हरियाणा की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब तक हरियाणा में सदन है, यह महत्वपूर्ण विषय यहां पर चर्चा का विषय रहेगा ही। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह चर्चा रोज ही यहां पर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप जल्दी खत्म करें और टू दी प्वांयट बात करें।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सरकार ने एस० वाई० एल० के मामले में लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लोगों के हितों को सरकार ने बेचा है। हमारी समझ में नहीं आता कि सरकार ने किस दबाव में आकर ऐसा किया है। किस षडयन्त्र के तहत, एस० वाई० एल० को न बनवा कर सरकार ने लोगों के हितों को बेचा है? पता नहीं सरकार क्या कर रही है, पिछले चार सालों में इस सरकार ने एक कदम भी इस ओर नहीं बढ़ाया है। सरकार की रफ्तार बड़ी ही धीमी रही है। बजट में भी इस के लिए कोई प्रोवीजन नहीं छोड़ा गया है न ही गवर्नर ऐड्रेस में एक लाईन ही इस के लिए जोड़ी गई है। हम नहीं जानते कि किस दबाव के कारण हरियाणा के हितों के साथ दगाबाजी हुई है? किस राजनीतिक षडयन्त्र के तहत हरियाणा के साथ यह धोखा हुआ है। इसलिए हम मुख्यमन्त्री महोदय से यह विश्वास चाहते हैं कि वे इस मामले में आज सदन उठने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस के अन्दर एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा चल रही है और यह सरकार उस पर इस हाउस की अनुमति भी लेना चाहती है। सरकार ने सिंचाई के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है लेकिन जिस इलाके से हम आए हैं, उस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। खासतौर से रोहतक व सोनीपत के इलाके के साथ बड़ा भेदभाव इस सरकार ने बरता है। इन इलाकों के साथ अगर कोई संकट है तो गिरते हुए पानी की भूमि के स्तर पर है जिससे पूरा इलाका बरबाद हो गया है। जब से यह वर्तमान सरकार आई है तब से नहरों का पानी गायब हो गया है जिससे लोग इतने तंग हैं, परेशान हैं और श्री नेहरा वहां प्रिवैसिज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लायक दोस्त बुजुर्ग दोस्त श्री सूरजमल जी ने भी काफी कुछ इस बारे में यहां पर कहा है। उन्होंने स्वयं हमारे साथ उसी इलाके की दुल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का निरीक्षण किया है और उनके खुद के हल्कों की यहां पर चर्चा हुई। चाहे बेरी हल्के की बात हो या सोनीपत की बात हो लेकिन आज सिंचाई के मामले में जितनी अनदेखी सोनीपत और रोहतक तथा ऊपर के इलाकों में भिवानी, महेन्द्रगढ़ और नारनौल वगैरह आते हैं, के साथ की गई है यह बड़ी शर्म की बात है। आज बताया गया कि गुड़गांव कैनाल की कैपेसिटी दो सौ क्यूसिक फुट है। स्पीकर साहब, आप यमुना में चार सौ क्यूसिक पानी छोड़ते हैं। ये कहते हैं कि यमुना पानी को पी जाती है। क्योंकि उसमें रेत है इसलिए 150 क्यूसिक फुट पानी कम हो जाता है और केवल 250 क्यूसिक फुट पानी बचता है। आपको पता है अढ़ाई सौ में से थर्मल प्लांट में भी पानी जाता है। तो उसके बाद आप अन्दाजा लगाएं कि वह खेतों में कितना जाता है और राजस्थान को कितना जाता है। आज हमारा इलाका पानी के अभाव में चिन्तित है। यहां हाउस में चर्चा की जाती है तो ये बड़े लम्बे चौड़े दावे करते हैं। उन इलाकों में तो पीने का पानी भी बराबर सप्लाई : ई :

वजह से हमारी बहिनों और माताओं के रोजाना सैंकड़ों मटके टूटते हैं। उस वजह से झगड़े भी होते हैं। ये बात कभी कभी तनाव पैदा कर देती हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि यह जो भेदभाव की नीति है, हमें बरबाद करने की नीति है। मेहरबानी करके कम से कम पीने का पानी तो दे दें। आप नहरों में उचित सप्लाई दें। आप नहरों की गाद निकाल कर इस इलाके में पानी की सप्लाई ठीक ढंग से दे पाएं ऐसी व्यवस्था करें। ऐसा आश्वासन हाउस में मुख्य मन्त्री और नेहरा साहब दें। फिर इन्होंने कर्जे की बात की। हमारे मांगे राम जी तथा और साथी भी चर्चा करते है कि आज अच्छी खेती है। हम मानते हैं कि खेती अच्छी है लेकिन उसमें इस सरकार का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। आपने सारा पानी बेचा है, खाद की आपने ब्लैक करवाई है। इस सरकार ने 25 रुपए ब्लैक में यूरिया बेचा। प्रदेश में यूरिया और डी0ए0पी0 का अभाव रहा। इसके अलावा लोगों को बिजली नहीं मिली जिस वजह से लोगों ने अपने कनैक्शन कटवाए। इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। जब भगवान ने इनकी कारगुजारी देखी कि इस तरह से तो किसान मर जाएगा, तब उसने मेहरबानी की और थोड़ी बारिश कर दी। इस वजह से थोड़ी सी फसल बच गई।

इसी तरह से आज हमारे शूगर मिलों का क्या हाल है। मैं बहिन जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत काबिल मन्त्री हैं। हमारी सरकार के समय में जून तक मिल चला करती थीं लेकिन मुख्य मन्त्री और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज गन्ने की खेती कम हो गई। आज पानीपत का शूगर मिल बन्द हो गया है। दूसरी मिलें मार्च के अन्त तक बन्द हो जाती हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैंने आपकी गैर हाजरी में रिकार्ड और आंकड़े दे कर बताया था कि इस सरकार के होते हुए गुड़ और खांड की प्रोडक्शन कम हुई है। स्पीकर साहब, कुछ मिल बेचे जा रहे हैं क्योंकि मिलों में गन्ना उपलब्ध नहीं होता। दूसरी तरफ किसानों पर अंकुश लगाए जाते हैं। अगर कोई किसान उचित भाव लेने के लिए अपना गन्ना पंजाब में ले जाता है तो उसको रोका जाता है। उसकी ट्रालियां पकड़ कर शाहबाद शूगर मिल में ले जाई जाती हैं।

श्री जय सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आडर है। मेरे साथी गन्ने के बारे में बोल रहे थे और इन्होंने चम्चागिरी की बात कही।

श्री धीरपाल सिंह : मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तो भले आदमी हैं।

श्री जय सिंह : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में जहां पर गन्ना नहीं बोया जाता था, आज किसानों को अच्छे भाव मिलने के कारण और अच्छी आमदन के कारण सारी जगहों पर गन्ना बोया जा रहा है। आप जा कर देख लें।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इकोनोमिकस सर्वे की रिपोर्टस से, हरियाणा के हिसाब से 1992-93, 1993-94 और 1994-95 तक के आकड़े बताए हैं कि कितनी पैदावार कम हुई है । मेरे साथी जो कह रहे हैं, उनके पास गिरदावरी होगी, उसके आधार पर ये कह रहे होंगे । अगला 1995-96 का जो सर्वे होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि इनकी कितनी योग्यता है । आज अगर किसान उचित भाव के लिए पंजाब में जाता है तो उस पर अंकुश लगाया जाता है । हमारे समय में शाहबाद शुगर मिल का पांच करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था और किसान को गन्ने का आज जो भाव मिल रहा है, उस समय भी उतना ही भाव था । हमारे समय में हमने किसानों को भागीदार बना कर उनको डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट-वे में, डिविडंड तथा उचित भाव दिए थे । सहकारी मिलें लोगों की सम्पत्ति है । जनता की सम्पत्ति है यह सारी की सारी खुर्दबुर्द हो रही है । इसलिए आपके द्वारा सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से जनता की सम्पत्ति के साथ खिलवाड़ न किया जाए । यह जनता की सम्पत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है । ये आराम के स्थान नहीं हैं । इनको मनोरंजन के अड्डे समझ कर इनका प्रयोग न किया जाए । लेकिन अड्डे के रूप में मुतवातर प्रयोग होता रहा है । इसी तरह से जींद शूगर मिल में एक हादसा हुआ । वहां पर 8 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ था । उसके बारे में इनका जवाब आएगा कि उस 8 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए इन्श्योरैंस वालों ने उस शूगर मिल को एक मुश्त राहत दे दी । मैं कहता हूं कि 8 करोड़ की चीनी इस देश से गायब हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा । बाहर से चांदी में, सोने में, डालर में, नकली चीनी ले कर आए । जो वहां पर 8 करोड़ रुपए की चीनी बर्बाद हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? उसके बारे में भी किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए ।

इस तरह के हादसे हर जगह पर हो रहे हैं । आज मुख्य मंत्री जी ने एक जवाब में एक ऐसी बात कही जिनको सुन कर स्पीकर साहब आप नाराज हुए । मैं आपकी नाराजगी को बर्दाशत नहीं कर सका इसलिए मैं चुप बैठ गया । इन्होंने रोहतक जिले के कहलावड़ गांव के बारे में कहा कि वे मुठभेड़ में मारे गए । इससे दुखदाई और इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती ? कहलावड़ गांव के दो होनहार नौजवान 90-90 किलोग्राम वजन के नौजवान जिनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पारितोषित दे कर सम्मानित किया था । उन दोनों नौजवानों को सोते हुए उठा कर ऊपर के कमरे में गोलियों से भून दिया गया । जब मुख्य मंत्री जी पर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से गोत के नाते दबाव पड़ा तो इन्होंने उन मरे हुए नौजवानों के परिवार को एक एक लाख रुपए की राहत देने का सदन में ऐलान किया । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो 45 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं, इन्होंने कुछ उग्रवादी बताए, उनको छोड़कर ऐसे कितने लोग हैं और उनको कितनी सहायता दी गई ? (विघ्न) मैं तो यह जानना चाहता हूं कि पहले एनकाउंटर और फिर अपराध होता है और कई किस्म के लांछन लगते हैं । उसके बाद किस बात का

कम्पनसेशन दिया जाता है। सारा रोहतक जिला इस खबर को पढ़ेगा कि उनके दो बेटे गोलियों से भूने गए, उसके बाद उनको एनकाउंटर में मारा गया दिखाया गया। आप इस तरह के जवाब दे कर भाग रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सरकार तो आती जाती चीज है, आज आपकी है, कल किसी और की हो सकती है और आगे कोई और आ जाएगा। इसी तरह से करनाल में एक कांड हुआ। एक परिवार के दो बेटे उठाए गए। उनको छोड़ने के बदले में उनके बाप से फिरौती मांगी गई। उन बच्चों का बाप वह फिरौती दे नहीं पाया, इसलिए दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद उन बच्चों के बाप ने खुदकशी कर ली। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहता हूं कि जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, जो आपका पक्ष लेते हैं, सारा हरियाणा प्रदेश इनकी कारगुजारियों से परिचित है। हरियाणा की जनता ने जिस तरह से और लोगों को सबक सिखा दिया, कुछ समय आने के बाद आपको भी हरियाणा प्रदेश की सक्षम जनता सबक सिखा देगी। आप इतने अंधे मत होओ। आज पानी के अभाव में और कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के अभाव में हर मामले में एक एक कदम पर यह प्रदेश टूट रहा है। यह सरकार जो प्रदेश की जनता पर गोलियां चला रही है, इसको माफ नहीं करेगी। यह सरकार जो कुकर्म कर रही है या हो रहे हैं ? उनको देखते हुए मुख्यमंत्री को होश में आना चाहिए। बिजली के रेट बढ़ाने पर लोग विरोध प्रकट करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। पानी की बात आती है तो नारनौल में किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जो सरकार यह कर रही है उससे इनको सचेत रहना चाहिए। यह सरकार किसी एक परिवार की नहीं है। यदि इनके गलत कामों को हम स्पोर्ट करेंगे तो प्रदेश की जनता हमें भी माफ नहीं करेगी। आज रोहतक जिले में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश के समान अपराधों का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ट्रेंड को समय पर रोका जाये क्योंकि आज के दिन पढ़ने वाला बच्चा शिक्षा की तरफ ध्यान न देकर अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस प्रवृत्ति को जल्दी रोकिए। यदि इसको आप नहीं रोक पाए तो पहले अपराध प्रवृत्ति के जिम्मेदार आप होंगे। यदि आप गलत पक्ष रखेंगे और हम साथ देंगे तो जनता हमें भी नहीं बख्शेगी। इसलिए मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि जो रोहतक जिले में अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको समय पर रोकें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप सदन को बताएं कि एस0 वाई0 एल0 पर किस किस मुख्य मंत्री के समय में कितना-2 काम हुआ और उस के लिए कितना रुपया रखा गया था और कितना खर्च हुआ। साथ ही यह भी बता दें कि पलवल में राजीव जी ने जो सारा खर्चा देना ओट लिया था और फिर पौने चार साल दूसरी गवर्नमेंट रही, उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री वीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, साथ ही ये यह भी बता दें कि मौजूदा सरकार ने कितना काम किया और किस के समय में कितनी कितनी भूमि अधिग्रहण की गई ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने 3.5 एम0 ए0 एफ0 का फैसला करवाया, फिर बाद में मैंने इसी फैसले को बदलवाकर 3.83 एम0ए0एफ करवाया । यह फैसला भजनलाल के वक्त की सरकार में हुआ । अध्यक्ष महोदय यह ठीक बात है कि 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे और उस समय बादल से बातचीत करके जमीन एक्वायर करने के लिये 2 करोड़ रुपये अकाली गवर्नमैंट को दिए गए । इन्होंने काम शुरु करना था । इसके लिए इन्होंने चांदी की कस्सी और चांदी का तसला बनवा लिया और शायद 30 या 31 तारीख को प्रकाश सिंह बादल ने कस्सी मार कर मिट्टी तसले में डालनी थी और तसला चौधरी देवी लाल जी ने उठाना था । उस समय इस काम को करने का श्रीगणेश करना था । देवी लाल जी उसकी अध्यक्षता करेंगे । यह बात फाईल पर है । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हालात कुछ ऐसे हो गये या अकालियों ने प्रकाश सिंह बादल को दबाया होगा और उन्होंने कह दिया कि यह नहीं हो सकता और वह बात टल गई तथा बाद में टलती ही चली गई । उसके बाद आप जानते हैं कि मुख्य मंत्री भजन लाल बन गया । अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से फैसला करवाया और 1981 में इस नहर की शुरुआत अम्बाला के गांव कपूरी से की गई । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी ने 1981 में उसकी शुरुआत की और नहर का काम स्टार्ट हुआ । 1986 तक मैं इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री रहा । हमारी सरकार में ये साथी मन्त्री भी रहे । हमने 95% काम पूरा करवाया जिसका सबूत यह है कि जब मैं केन्द्र में चला गया तो चौधरी बंसी लाल जी को यहां पर मुख्य मन्त्री बनाया गया । इन्होंने सारे प्रदेश के पंचों और सरपंचों को वहां ले जा कर वह नहर दिखाई । सभी बी0डी0 ओज0, एस0डी0एम0 और डी0सीज0 को इन्होंने आदेश दिए । आज ये कहते है कि डी0सी0 तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेजिडैंट बने हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि सभी पंचों और सरपंचों को वहां ले जा कर नहर का जो काम दिखाया गया था, वह किसने करवाया था ? ये कहा करते थे कि देखो, कांग्रेस और भजन लाल ने यह नहर बनवाई है । 95% नहर उस वक्त बनी हुई थी । (विघ्न) मुझे उस वक्त केन्द्र में गए केवल छः महीने ही हुए थे । छः महीने के बाद ही इन्होंने वह नहर दिखाई थी । मैं जून-जुलाई में गया था और इन्होंने वह नहर पंचों और सरपंचों को नवम्बर दिसम्बर में दिखाई थी । छः महीने में तो टैंडर भी नहीं होते हैं । आज श्रीमान् बंसी लाल जी कहते हैं कि नहर तो मेरे वक्त में बनी थी । अध्यक्ष महोदय, 95% जो काम हुआ है, क्या वह एक दिन में हो गया है ? नहीं । उस काम को करने में पांच साढ़े पांच साल का समय लगा है । 95% काम मैं करवा कर गया था, उसके बाद चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री बने, इन्होंने वहां पर एक रोड़ी भी नहीं डलवाई और न

कोई ईंट ही लगाई । उसके बाद चौधरी देवी लाल जी मुख्य मन्त्री बने, इनकी सरकार 4 साल रही और इस चार साल के अरसे में इन्होंने वहां पर एक मिट्टी की टोकरी तक नहीं उठवाई और आज के दिन वह नहर वैसी की वैसी पड़ी हुई है । दोबारा पावर में आने के बाद हमने भरसक कोशिश की लेकिन पंजाब के हालात खराब हो गए । (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक जानकारी चाहता हूं । इन्होंने हाउस में कहा है कि हमारी सरकार ने नहर पर कोई कोई अर्थ-वर्क नहीं करवाया । कम से कम ये यह बताएं कि कितने पुलों का निर्माण हुआ, कितना लाईनिंग का काम हुआ ? अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के नेता से इस बात की जानकारी चाहता हूं और हाउस के नेता होने के नाते इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ये यह जानकारी दें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानकारी हाउस उठने से पहले दे देंगे कि इस नहर का इतना-इतना काम हो चुका है और इतना बाकी है।

श्री धीरपाल सिंह : तारीख भी बताएं कि इस इस तारीख को काम शुरू हुआ और इस-इस तारीख को बन्द हुआ । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर रिकार्ड मिल गया तो यह भी इनको बता देंगे। (विघ्न) हम सच्चाई से भागने वाले नहीं हैं ।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी इनसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि 60 हजार मजदूर हमने लगवाये जो जून 1987 में हमारी सरकार के आने के बाद हट गए। कम से कम ईमानदारी से यह बात बतायें कि वे मजदूर कब हटे, कितना काम हुआ और कितना अर्थ वर्क हुआ ।

चौधरी भजन लाल : यह भी बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अन्दर का काम तो पंजाब सरकार ने करवाना था, बंसी लाल जी का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं था ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है मुख्यमंत्री जी मेरी बात का जवाब दे दें कि अक्तूबर, 1982 से ले कर फरवरी, 1984 तक पंजाब और हरियाणा के बीच यमुना सम्पर्क नहर बनवाने के बारे में 5:1 की रेशो थी। उस समय वे मुख्य मन्त्री थे और उसी समय के दौरान 5 करोड़ रुपये जमा करवाए गए थे। उसके बाद अप्रैल, 1984 में सैंट्रल वाटर कमीशन की सीटिंग हुई जिस में यह फैसला हुआ कि हरियाणा सरकार एस0 वाई0 एल0 बनवाने के लिए साल 1984-85 के लिए हर साल 6 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को देगी। उस हिसाब से मार्च 1985 तक कुल 72 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिएं थे लेकिन कुल मिलाकर 1984-85 के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। (विघ्न) इस बात से ही इनकी नीयत का पता चलता है कि ये नहर नहीं बनवाना चाहते। (विघ्न)

12.00 बजे

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि यह क्या है। जब तक इनको पता ही न हो तो इनको बोलना नहीं चाहिए। हमने तो राजीव जी से कहा था कि भारत सरकार को यह पैसा देना चाहिए और उन्होंने 490 करोड़ रुपए दिए। यह काम 1981 में शुरु हुआ था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं और मुख्यमंत्री जी का पूरा जवाब आने दें और सारे फिगर्ज सुन लें। । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी कई बार पंजाब के मुख्यमन्त्री से, प्रधान मन्त्री जी से, वहां के रिसोरसिज डिपार्टमैंट से और शुक्ला जी से मीटिंग हुई है। इस नहर का फैसला भजन लाल ही करवाएगा। इसका फैसला न तो बन्सी लाल द्वारा और न ही ओम प्रकाश चौटाला द्वारा होगा।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 12 जुलाई 1991 से लेकर 24 मार्च, 1995 तक इनके नेतृत्व में एस० वाई०एल० के ऊपर कितनी मीटिंगज, कितने एफर्टस और कितना पैसा खर्च किया गया है ? इसकी डिटेल मुख्य मन्त्री जी हमें बता दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह डिटेल बता देंगे कि हमने क्या-क्या किया है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried

(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1995.

I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि पंजाब शैडयूल्ड रोडज एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन आफ अनरैगुलेटिड डिवैलप्मैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1995 and will also move the motion for its consideration.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr Speaker : Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

> That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

---

(4) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ (अमैंडमैंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will introduce the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill, 1995 and will also move the motion for its consideration.

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं—

कि हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will move that the Bill be passed.

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि बिल पास किया जाए।

Mr Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

चण्डीगढ़ के हस्तांतरण तथा एस० वाई० एल० नहर के निर्माण से सम्बन्धी मामला ।

मुख्य मन्त्री (चौ० भजन लाल): अध्यक्ष महोदय। चौधरी बंसी लाल जी अब आ गए हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं यह एक अहम मसला है जिसके बारे में इन्होंने इन्कार किया है कि इन्होंने 70 हजार रकबा इन ल्यू ऑफ चण्डीगढ़ देना नहीं माना है । लेकिन मैं इनको चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं । आपने चार जुलाई, 1986 को लिखा है—

"Dear Desai,

Many thanks for your D.O. letter No. Nil dated the Ist July, 1986 regarding specifying territory consisting about 70000 acres to be transferred from Punjab to Haryana in lieu of Chandigarh.

I shall meet you on 7th July, 1986 at 11.00 A.M. at your residence."

Prof. Ram Bilas Sharma: Speaker Sir, is it in the interest of Haryana to disclose all these things in the House ? यह मुद्दे अभी भी विवाद में हैं। I think, it is not proper.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इससे स्टेट के हितों का बड़ा भारी नुकसान होगा।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, इससे गैर-जिम्मेदाराना बात और कोई नहीं हो सकती । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से चिट्ठी लिखी गई । इनको चिट्ठी दिखाई गई, इन्होंने कह दिया कि मैंने देख ली है । जो आपने फैसला किया है, इसके बजाए 86770 एकड़ जमीन माप दे दें तो अच्छा रहेगा । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । यह कमीशन चौधरी भजन लाल के वक्त में बना । चण्डीगढ़ हमने 1970 में पंजाब को देना मान लिया था । उसके बदले में 107 गांव फाजिल्का हिन्दी स्पीकिंग एरियाज करके मिले थे, न कि इन ल्यू आफ चण्डीगढ़ । चण्डीगढ़ के बदले हमने 86770 एकड़ धरती मांगी लेकिन हमने 107 गांव का क्लेम नहीं छोड़ा । 107 गांव तो हमको हिन्दी स्पीकिंग मिले थे मुख्य मन्त्री जी, कैबीनेट का डिसीजन भी पढ़ दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेट के इंट्रैस्ट का सवाल है । अब यह बात प्रैस में जाएगी तो कितना भारी नुकसान स्टेट का हो जाएगा ? 70 हजार एकड़ में, चण्डीगढ़ के बदले में जो 107 गांव मिले थे, इन्होंने उनको छोड़कर कहा कि लगभग 86 हजार एकड़ जमीन हमको दे दो, यह रिकार्ड की बात है ।

(6) दि हरियाणा एफिलिएटिड कौलेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1995

Mr. Speaker: Now the Education Minister will introduce the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana): Sir, I introduce the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1995.

I also move—

> That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once,

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : स्पीकर साहब, जो बिल आज यहां पर सर्कुलेट हुआ है, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। रूल 122 में लिखा है–

"Any member desiring to move for leave to introduce a Bill shall give fifteen day's notice of his intention and shall, together with his notice submit a copy of the Bill and a full statement of objects and reasons:

> Provided that the Speaker may, for sufficient reasons, allow the motion for leave to introduce a Bill to be made at shorter notice."

स्पीकर साहब, इसी तरह रूल 129 में यह लिखा है–

"When a Bill is introduced or on some subsequent occassion the member-in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:—

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) that it be referred to a Select Committee; or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for five clear day before the days on which the motion is made and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह का कोई बिल लाया जाए तो इस के लिए रूल्ज में दो दिन का टाइम दे रखा है कि मैम्बर चाहे तो उस पर अमैंडमैंट दे सकता है। आप वह रूल तो रिलैक्स कर सकते हैं लेकिन मैम्बर का यह राईट है कि दो दिन पहले वह अमैंडमैंट देगा। अब हमें हाउस में आने के बाद यह बिल मिला है। तो सरकार को इस बिल को आज ही पास करने की क्या एमरजैंसी है? यह रीजन तो सरकार

की खुद देना है, बगैर रीजन के ये इसे ला नहीं सकते। आप इतनी जल्दी भागने की क्यों करते हैं ? आपने दो दिन का सैशन भी बढ़ा दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को इन्ट्रोडक्शन की इजाजत न दी जाए क्योंकि बिल समय पर सरकुलेट नहीं हुआ है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी बंसी लाल जी ने शायद पढ़ा नहीं कि इसमें क्या अमैंडमैंट है। मैं बताना चाहता हूं कि डे-टू-डे वर्किंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे कालेजिज अपनी मैनेजमैंट कमेटीज को इकट्ठा चलाते हैं, जैसे डी० ए० वी० है। यह अपने कालेज सात स्टेटस में चलाते हैं, यहां तक कि वे विदेशों में भी चलाते हैं। इसमें दिक्कत यह थी कि सिक्योरिटी आफ एफिलिएटिड कालेजिज के जो सर्विस रूल्ज हैं, उनके अनुसार किसी भी कालेज में कोई लैक्चरर रखना हो या इन्टरव्यू लेना हो तो हम आपत्ति करते थे कि मनेजमैंट कमेटी अलग होनी चाहिए। इसके लिए डी० ए० वी० कालेज या एस० डी० कालेज की संस्थाएं तैयार नहीं थीं। उस भ्रम को दूर करने के लिए पहले वाले बिल में कालेज का कालेजिज किया है। दूसरे यह किया है कि मनेजमैंट कमेटी उसी कालेज कि बजाए कालेजिज की होगी। जो टेक ओवर का काम बैस्ट करेगा, वह उस कालेज से संबंधित ही उस मैनेजमैंट कमेटी में बैस्ट करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन किया था कि यह बहुत जरूरी है हमने कालेजिज में शिक्षा देनी है। शिक्षा देने के लिए यह जरूरी था और तभी आपने हमें मन्जूरी दी। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा आब्जर्वेशन—

सदस्यों को समय पर बिल वितरण सम्बन्धी

Mr. Speaker : I am constrained to observe that the Bill was received late in the Assembly from the Government side. When the Bill is received late, then how these can be circulated ? May I request the Minister concerned to inform the House as to why the Bill was not sent in time ?

Shri Phool Chand Mullana : Sir, there were many reasons. We were having various discussions with the management of these colleges and the management is the central management, i.e. mostly D.A.V. Colleges. They sent the information a bit late and, Sir, while preparing copies of this Bill and certain provisions, we took some time. Then I approached your goodself. There are certain colleges where appointments are being held up because under the provisions of the law, there was a specific provision that the management of the Committee of the local college shall have to deal with it but they do not have the Local Management Committee. They have the Central Management Committee. So, only to benefit them in the interest of the studies of the colleges, we are bringing this legislation. Sir, in the interest of the studies, there has not been much delay. Your honour is fully competent to kindly condone this delay and I would request your goodself, Speaker Sir, that this Bill may be entertained and passed.

Prof. Ram Bilas Sharma (Mohindergarh): You have observed very well, Sir. मंत्री जी ने कोई एमरजैंसी नहीं बताई इसलिए मैं अब भी यही कहूंगा कि let us study this Bill. चौधरी बंसी लाल जी ने ठीक ही कहा कि मंत्री जी इस बिल को विदड्रा कर लें और अगली बार इस बारे में आप अच्छी तैयारी करके आएं। आज तो इसका प्रिंट भी पढ़ने लायक नहीं है। आप इसको प्रैस्टिज इशू न बनाएं, इसको आप विदड्रा करलें और अगले सैशन में ले आएं।

Mr. Speaker: I have allowed it. I shall ask the Parliamentary Affairs Minister to ensure in future that the bills are sent to the Assembly atleast 5 days before the introduction. He may take necessary steps in this regard and I may also be informed of the action taken so that such problem may not arise. Under the circumstances, I allow the Education Minister to introduce the Bill. No more discussion is permitted on it.

बिल्ज (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1995

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause Stands part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the bill

The motion was carried.

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाये ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the bill be passed.

The motion was carried.

चण्डीगढ़ के हस्तांतरण तथा एस0 वाई0 एल0 नहर के निर्माण से सम्बन्धी मामला (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी भजन लाल ने लैटर पढ़ कर सुनाया यह ठीक है कि यह मेरी तरफ से गया है और 1970 में हम यह बात कांसीड कर चुके हैं कि चण्डीगढ़ पंजाब को जाएगा । उसके बाद जब बगड़ा आगे चला तो कदूखेड़ा गांव में एक किलोमीटर का कोरीडोर हमें इन्दिरा जी ने दिया था । उस कोरीडोर के केस को चौधरी भजन लाल ने खत्म कर दिया क्योंकि इन्होंने उसको रैफरैंडम माना । जो देसाई कमिशन बना था वह कमिशन था मैमोरैंडम आफ सैटलमैंट 7.2, जो कि चौधरी भजन लाल के वक्त में बना था और यह उस बात को मान कर आए थे । उसके बाद उस कमिशन का फैसला आया, हमने उस फैसले को माना । हमने अबोहर फाजिल्का और 105 या 107 गांवों का क्लेम नहीं छोड़ा ।

चौधरी भजन लाल : यह मैमोरैंडम आफ सैटलमैंट 7-2 राजीव लौंगोवाल समझौता है और यह समझौता 24 जुलाई का है । आप यह बात 1985 की कर रहे हैं ।

चौधरी बंसी लाल : हां, 1985 के समझौते के तहत यह कमिशन आपके मुख्य मंत्री होते हुए बनाया गया था ।

चौधरी भजन लाल : कमीशन ही बना था । भजन लाल ने उस कमीशन की बात को नहीं माना लेकिन आपने मान लिया ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, उस फैसले में लिखा है —

"This decision of the Commission will be binding on both the Governments" और उसके ऊपर आपके दस्तखत है । इस बात को तो आपने ही माना था

चौधरी भजन लाल : कन्दूखेड़ा गांव के लिए हमने कहा कि मैजोरिटी हिन्दुओं की है इसलिए एक गांव की वजह से 107 गांव नहीं रुकने चाहिए। इसके बदले चाहे हरियाणा के एक गांव को ले लो, दो गांवों को ले लो या 5 ले लो । लेकिन अबोहर और फाजिल्का हमें मिलने चाहिए और साथ ही ये 107 गांव मिलने चाहिए लेकिन इन्होंने 107 गांवों के बदले 70 हजार एकड़ जमीन लेनी मंजूर कर ली ।

चौधरी बंसी लाल : 107 गांव हमारे पक्के थे । बीच में रास्ता देने के लिए एक किलोमीटर का कोरी डोर हरियाणा को इंदिरा गांधी ने दिया था । मैमोरेंडम आफ सैटलमैंट राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच हुआ था और मुख्य मंत्री भजन लाल ने कहा था कि जो भी फैसला होगा, वह बाइन्डिंग होगा । हमने कभी अबोहर और फाजिल्का तथा 105 या 107 गांवों का क्लेम नहीं छोड़ा ।

चौधरी भजन लाल : इस सैटलमैंट के बारे में कोई भी हाउस का माननीय सदस्य फाईल पढ़ कर कह दे कि भजन लाल ने ऐसा कहा हो, तो मैं अभी अस्तीफा देकर चला जाऊंगा ।

श्री जिले सिंह : स्पीकर साहब, इस हाउस ने सारे हरियाणा को देखना है । भजन लाल और बंसी लाल जी की इस इशू पर आपस में लड़ाई होती रहती है । मैं चाहूंगा कि एस0 वाई0 एल0 के इशू, पानी के इशू और चण्डीगढ़, अबोहर और फाजिल्का के इशू पर पूरी सच्चाई जानने के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए ताकि सदन को मालूम हो कि एस0 वाई0 एल0 के मामले में किन-किन सालों में कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है । ये जो बार-बार आपस में लड़ते रहते हैं कि मैंने करवाया, दूसरा कहता है कि मैंने काम करवाया है, यह मामला खत्म होना चाहिए । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह रोज-रोज का झगड़ा समाप्त हो जाए, इसलिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए ।

प्रो0 राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही ऐतिहासिक डाकुमैंट सदन के नेता ने प्रस्तुत किया और कहा है कि जिस समय चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री थे तो यह था, वह था । इस विवादास्पद डाकुमैंट से यह नतीजा निकलता है कि चौधरी भजन लाल और बंसी लाल जी ने क्या क्या फैसला लिया था । भजन लाल ने क्या फैसला लिया था, वह इस डाकुमैंट को पढ़ने से मालूम हो गया । स्पीकर साहब, यह हाउस के सम्मान का सवाल है इसलिए जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको यहां नहीं लाया जाना चाहिए

था । लेकिन फिर भी अगर यह मुद्दा अब आ ही गया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आप ठीक समझें, 2-3 आदमियों की एक कमेटी बना दें । इस पत्र की सच्चाई तो इस सदन में पता चलनी चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई कोई छिपी नहीं रही, फिर भी राम बिलास शर्मा तथा श्री धीरपाल सिंह जी से मैं कहूंगा कि आप दोनों महानुभाव स्पीकर साहब की मौजूदगी में पढ़ना चाहें तो पढ़ लें और जो ठीक बात हो, वह हाउस में बता दें ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हाउस की एक कमेटी बना दें । 1970 से लेकर आज तक इस मामले में जो प्रगति हुई है, उसकी जांच करके हाउस में बता दें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरियाणा के हितों का गला घोंटा है और यह बात रिकार्ड में मौजूद है ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, जो यमुना नदी के जल का समझौता किया गया है, उस बारे में भी हाउस की एक कमेटी बना दें और 1970 से ले कर आज तक जो भी काम हुआ है, उसकी पूरी छानबीन वह कमेटी करे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस बात को कह रहा था कि ये हरियाणा के हितों को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं । मैं इस चिट्ठी को हाउस में नहीं रखना चाहता था क्योंकि इससे हरियाणा के हितों को भारी नुक्सान हो सकता है ।(विघ्न) अगर यह मान लें कि चिट्ठी इन्होंने लिखी है । अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल सिंह जी और प्रो0 राम बिलास शर्मा को इस काम के लिए मुकर्रर कर दें, ये फाईल पढ़ कर देख लें ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है, जिससे हरियाणा के हितों को नुकसान हुआ है । इस मामले को लेकर इस महान सदन का काफी समय खर्च हुआ है । यह एक बहुत ही गम्भीर विवादास्पद मुद्दा है । जो बात आज हुई है, उसकी सच्चाई जानने के लिए आप हाउस की एक कमेटी बना दें ताकि लोगों को सही स्थिति का पता लग सके ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राम बिलास शर्मा जी को ही बन मैन कमेटी बनाने की आफर देता हूं ।

श्री वीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, आज हाउस के नेता ने जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है, उसमें चण्डीगढ़ के क्लेम को छोड़ा गया है और उसके बदले में एरिया की कुछ बात हुई जो शायद 70 हजार एकड़ है, जिसको रिकार्ड के द्वारा दर्शाया गया है, वह सारे का सारा पूर्व नियोजित था । जिसकी वजह से पंजाब सरकार अपना पक्ष मजबूत करने में सक्षम होगी । एक सदस्यी कमेटी जो शर्मा जी की अध्यक्षता में बन गई है वह उसको देखे । इसकी वजह से हरियाणा का बिल्कुल नाश हो गया है और हरियाणा के क्लेम में कोई दम नहीं रहा । हरियाणा की सारी जनता को इससे बेहद निराशा हुई है । जो दस्तावेज पेश हुआ है, उससे सारे प्रदेश के हितों को काफी नुकसान हुआ है । यह निन्दनीय बात है । (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि नियम 84 के तहत मेरी जो मोशन है, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह लास्ट में है ।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, लास्ट में तो सभी सदस्य चले जाएंगे । कृषि मंत्री जी ने भी जाना है ।

श्री अध्यक्ष : आपके मोशन का आपको जवाब मिलेगा ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक बात बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं 22 तारीख को सदन में हाजिर नहीं था और उस दिन चौधरी भजन लाल ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे । मैं उसके बारे में दो दिन से रिकार्ड मांग रहा हूं और वह मुझे नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं, क्या वह फाजिल्का आबोहर से सम्बन्धित है ? (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat now.

Here I quote Rule 106 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly which reads as under—

> "If a Minister quotes in the Assembly a public or other State document which has not been presented to the Assembly he shall lay such document on the Table :
>
> Provided that this Rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :
>
> Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such document it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

So, in the public interest, it is not necessary to place this document on the Table of the House. Now, this matter ends.

बिल्ज (पुनरारम्भ)

(7) दि पंजाब प्रि-ऐम्पशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, Irrigation Minister will introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill, 1995.

I also move—

That the Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Pre-emption (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्री-एम्पशन (हरियाणा एमैन्डमैंट) बिल 1995, जो इस हाऊस में लाया गया है, पर मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूं। इसमें जो स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज हैं, उससे यह पता चलता है कि किस इरादे से यह बिल यह सरकार ले कर आई है। उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। इसमें सुप्रीमकोर्ट के किसी फैसले का हवाला दिया गया है। इसमें आरिजनल एक्ट का सैक्शन 15 है, उसमें जो क्लाज ए और बी है और उसका जो फोरथली पार्ट है, उसको सुप्रीमकोर्ट ने स्ट्रक्टडाउन नहीं किया है। सुप्रीमकोर्ट ने तो उसको अपहोलड किया है, ठीक माना है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मुताबिक अमैन्डमैंट लाने जा रहे हैं और साथ ही इन्होंने स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट एंड रीजन्ज में दिए हैं, उनसे इनकी बात झूठला दी जाती है। सुप्रीमकोर्ट ने इस विशेष धारा को जिसे फोरथली कहा गया है, इसे सब क्लाज ए और बी में स्ट्रक्टडाउन नहीं किया है। इस प्रकार से इनका यह कहना कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले को हम इम्पलीमैंट करने के लिए यह बिल ला रहे है, तथ्यों से परे की बात है। इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि संशोधन यह सरकार ले कर आ रही है उससे एक परिवार में, भाई-भाई में लड़ाई-झगड़ा होने की पूरी सम्भावना हैं। परिवार में वैमनस्य बढ़ेगा तथा को-शेयर्ज को प्रैजेंट एक्ट में जो हकशूफा करने का हक है, उसके कारण जो परिवार की आपस में पैतृक सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा रह जाती है लेकिन इस प्रोविजन को हटाने के बाद परिवार की पैतृक सम्पत्ति को लेकर परिवार में पूरी तरह से लड़ाई झगड़े होंगे, पूरी तरह से वैमनस्य बढ़ेगा, भाईचारा समाप्त हो जाएगा और पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा भी नहीं हो सकेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल को सरकार किस इरादे से लाना चाहती है, क्या अल्ट्रा कैंसीडैंशन सरकार की इस बिल को लाने से है, सरकार का क्या इरादा इस बिल में यह संशोधन लाने का है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी कुछ बड़े लोगों को, नजदीकी लोगों को फायदा देने के लिए सरकार यह बिल ला रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के छोटे लड़के ने अलीपुर व धामडोज गांव में, अंसल प्रोपर्टीज के लोगों ने रायसीना गांव जो गुड़गांव जिले में है, वहां पर प्रोपर्टी खरीदी हुई है और को-शेयर्ज ने उन प्रोपर्टीज के खिलाफ हकशूफे के दावे किए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, वह सारे के सारे केसिज सिविल कोर्टस में पैंडिंग हैं। वे केसिज फेल हो जाएं, हकशूफा न चल सकें और इनके पास यह प्रोपर्टी रहे, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए और

हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के इरादे से सरकार यह बिल ला रही है। यह बिल कतई तौर पर किसान विरोधी है।

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आदमी की जैसी शक्ल होगी, वह वैसी ही बात करेगा। इनके मुंह से कभी भी कोई अच्छी बात नहीं निकलती है। अगर मेरे लड़कों के पास ये इस तरह की जमीन साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आदमी को ठीक बात ही करनी चाहिए। बेहूदा बातें नहीं करनी चाहिएं (शोर एवं व्यवधान) * * * *

श्री ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, * * * * सर, मेरा सरकार को एक सुझाव है। अगर सरकार यह समझती है कि इस बिल को लाने की उसकी कोई गलत नीयत नहीं है तो मैं सरकार से एक आश्वासन लेना चाहता हूं कि जो प्रिएमशन शुट्स पैंडिंग हैं और वह डिफरैन्ट कोर्ट्स में पड़े हुए हैं उन पर इन अमैन्डमैन्ट के बाद कोई रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट नहीं पड़ेगा। सरकार हमें यह आश्वासन दे दें ताकि सरकार की नीयत का हमें पता लग जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब से बिल पास होगा, तभी से तो वह अमैंडमैंट लागू होगी। क्या पहले कभी किसी पर लागू हो सकता है ?

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed

The motion was carried.

---

(8) दि हरियाणा टैक्स आन लग्जरीज (रिपील) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill, 1995 and will also move the motion for its consideration.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill 1995.

Sir, I also beg to move that—

The Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Now, the Irrigation Minister willl move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

सरकारी संकल्प

(i) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने की अनुमति के सम्बन्ध में

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move the official resolution.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

> This House approves, under sub-section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the Fixation by the State Government of a higher maximum amount of 1400 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (i) of that section.

Mr. Speaker : Motion moved—

> This House approves, under sub-section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 1400 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan undersub section (i) of that section.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिजोल्यूशन सदन के सामने लाया गया है कि बिजली बोर्ड का कर्ज और बढ़ा दिया जाए । मैं समझता हूं कि बिजली बोर्ड में जितना नुकसान है यह मिसमैनेजमैंट है, करप्शन है और हमेशा अगर इसी तरह से कर्ज बढ़ाते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा । या तो नये प्लांट लगाएं या कोई और चीज करें । बिजली के प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाएं तो बात समझ में आती है । बिजली की चोरी और मिसमैनेजमैंट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिए जब तक कि बिजली बोर्ड यह न बताए कि स्पेसिफिकली किस काम के लिए खर्च किया जाना है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के कर्ज की एक हजार करोड़ रुपये का लिमिट आलरेडी है उसे बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये करने की बात है। लाइन लौसिज हैं, बिजली का बुरा हाल है ऐसा घटिया सामान खरीदकर इन्होंने लगा दिया था जिससे बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है उसी को ठीक करने के लिए हम लगे हुए हैं । यह इसीलिए किया है और लोन लिए बगैर काम चल नहीं सकता । चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना बड़ा मुल्क हो, उसको भी लोन लेकर काम चलाना पड़ता है । यह इसलिए बढ़ा रहे हैं कि लाईनों को ठीक किया जाए और जो थर्मल पावर स्टेशन है उनका सुधार किया जाए । नये प्रौजैक्ट लगाए जा सकें, इसी बात के लिए यह रैजौल्यूशन लाया गया है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैंने भट्ठा बैठा दिया । मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है । इस बिजली को लाने का, लगाने का सारा क्रेडिट मुझे है । यह कह रहे हैं कि भट्ठा बैठा दिया है। भट्ठा खुद ने बैठा दिया है और नाम मेरा ले रहे हैं ।

Mr. Speaker : Question is—

> This Housh approves, undersub section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 1400 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub section (i) of that section.

The motion was carried

(ii) सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण अथवा कायम रखने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move another official resolution.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba): Sir, I beg to move that —

"Whereas the Parliment enacted by the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993), to provide for the prohibition of employment of manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water-seal latrines and for matters connected therewith or incidental thereto, for the purpose of prohibiting of manual scavenging of human excreta ;

And whereas sub-section (3) of section 1 of the said Act provides that it it shall come into force in any other State which adopts this Act under clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to eleminate the existing dehumanising practice of employing persons for carrying human excreta on their heads or like-wise, from the State of Haryana effectively ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves to adopt the Employment of Manual Scavengers and Constiiution of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993)."

Mr. Speaker : Motion moved that—

"Whereas the Parliament enacted the Employment of Mananal Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993), to provide for the prohibition of employment of manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water-seal latrines and for matters connected therewith or incidental thereto, for the purpose of prohibiting of manual scavenging of human excreta;

And whereas sub-section (3) of section 1 of the said Act provides that it shall bome into force in any other State whish adopts this Act under clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to eliminate the existing dehumanising practice of employing persons for carrying human excreta on their heads or like-wise, from the State of Haryana effectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryaaa hereby resolves to adopt the Employment of Manual Scavengers and Constitbtion of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993)."

Mr. Speaker : Question is that—

"Whereas the Parliament enacted the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993), to provide for the prohibition of employment of manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines and

for the regulation of construction and maintenance of water-seal latrines and for matters connected therewith or incidental thereto, for purpose of prohibiting of manual scavenging of human excreta ;

And whereas sub-section (3) of section 1 of the said Act provides that it shall come into force in any other State which adopts this Act under clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption ;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to eliminate the existing dehumanising practice of employing persons for carrying human excreta on their heads or likewise, from the State of Haryana effectively ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves to adopt the Employment of Manual Scavengers and Constitution of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Central Act No. 46 of 1993)

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received three notices of motion uuder rule 84 from Smt. Chandrawati to discuss the the following reports :—

(i) "That the 20th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 1993-94, which was iaid on the Table of the House on the 6th March, 1995.

(ii) The 19th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1992-93, which was laid on the Table of the House on the 6th March, 1995.

(iii) The 26th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1992-93, which was laid on the Table of the House on the 6th March, 1995.

Now, Smt. Chandrawati will move her motions.

(As Smt. Chandrawati was not present in the House, the motions were not moved.)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned sine-die.

*13.00 hours | (The Sabha then *adjourned sine-die.)

26918—H.V.S.—H.G.P., Chd.